राजस्थान सरकार

श्री माधोपुर मास्टर प्लान

2011 -2031

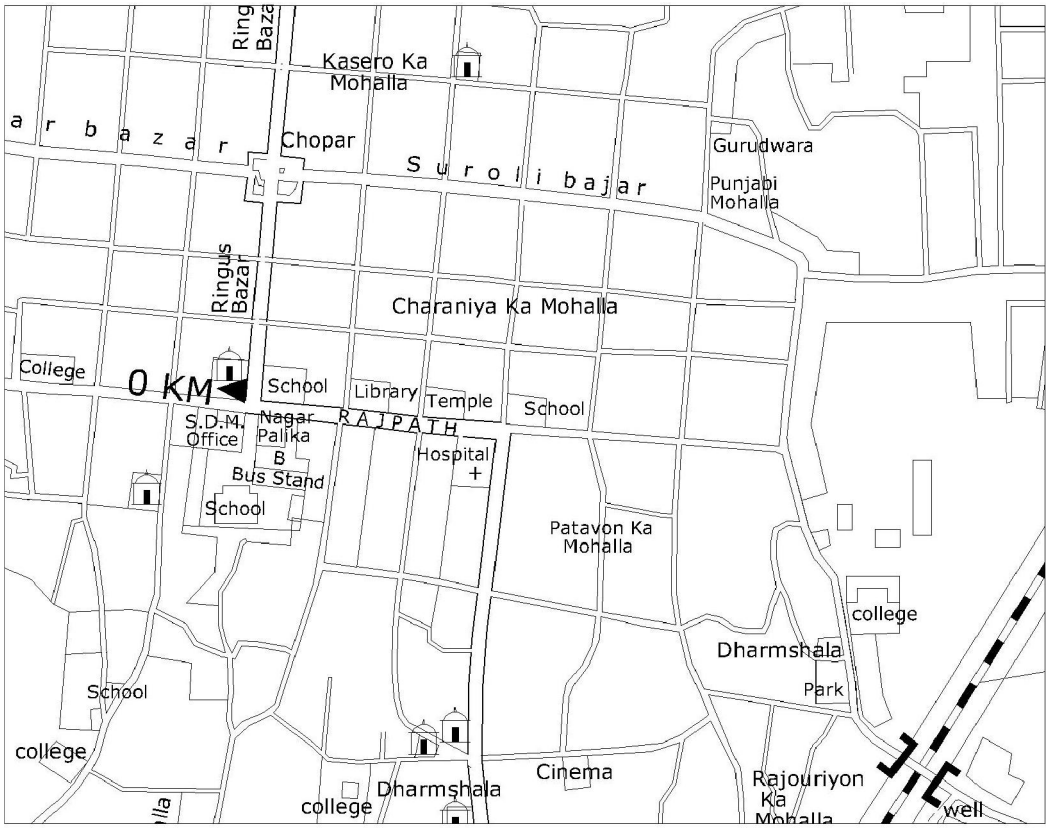

नगर नियोजन विभाग,

राजस्थान,जयपुर।

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

श्री माधोपुर मास्टर प्लान

2011 –2031

(राजस्थान नगर सुधार अधिनियम,1959 के अर्न्तगत तैयार किया गया)

आवास विकास लिमिटेड
जयपुर

मैसर्स सृष्टि -अरबन इंफ्रास्ट्रेक्चर डवलपमेंट लि.
नई दिल्ली 110017

नगर नियोजन विभाग,

राजस्थान,जयपुर।

आभार

श्री माधोपुर नगर के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान बनाने में श्री माधोपुर के विशिष्ट जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध व गणमान्य नागरिकों तथा नगरीय विकास को क्रियान्वित करने में सहयोग देने वाले उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपना विशेष आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस नगर की विकास योजना में समर्पित किया है।

मैं, तहसीलदार श्री माधोपुर एवं नगर पालिका श्री माधोपुर के अध्यक्ष,अधिशाषी अधिकारी व अन्य कर्मचारियों का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने मास्टर प्लान को तैयार करने में समय-समय पर निरन्तर सहयोग प्रदान किया ।

मास्टर प्लान को बनाने में विभिन्न स्तरों से गुजरते हुए सभी वांछनीय सर्वेक्षण तथा सूचनाओं को एकत्र करना आवश्यक होता है । इस विशेष कार्य में विभिन्न संबंधित सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत वितरण निगम, उद्योग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शिक्षा एवं चिकित्सा आदि विभागों तथा अन्य निजी संस्थाओं ने अपना सतत् सहयोग प्रदान किया है । मैं उन सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने मास्टर प्लान को तैयार करने में अपना प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहयोग दिया है ।

अन्त में, मै श्री माधोपुर के सभी नागरिकों से आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इस नगर को, मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप सुनियोजित ढँग से विकसित करने में अपना सम्पूर्ण सहयोग बनाये रखेंगे ।

(प्रदीप कपूर)
वरिष्ठ नगर नियोजक,
जयपुर जोन, जयपुर

योजना-दल

कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर

1. श्री प्रदीप कपूर	:	वरिष्ठ नगर नियोजक
2. श्री आर.के. तुलारा	:	उप नगर नियोजक
3. कुमारी प्रिया माथुर	:	सहायक नगर नियोजक
4. कुमारी ईशिता सैनी	:	जिला नगर नियोजक
5. श्री जयसिंह रत्नूँ	:	अन्वेषक
6. श्री आलोक माथुर	:	कनिष्ठ अभियंता
7. श्री नन्दकिशोर कुमावत	:	कार्यालय सहायक

सलाहकारः-

आवास विकास लिमिटेड	:	4-स, 24 जवाहर नगर, जयपुर ।
1.श्री एस.डी. थानवी	:	चीफ जनरल मैनेजर, जयपुर ।
मैसर्स - सृष्टि अरबन	:	डी-2, पॉचवा तल, सदर्न पार्क साकेत प्लेस,
इंफ्रास्ट्रेक्चर डवलपमेंट लिमिटेड		नई दिल्ली-110017

1. श्री वी.के.सोनी	-	प्रधान सलाहकार
2.श्री बलदेव सिंह	-	स्थानीय सलाहकार
3.श्री सुभाष कुमार	-	प्रारूपकार
4.श्री अनिल कुमार	-	कम्प्यूटर ऑपरेटर
5.श्री के.के.शर्मा	-	अन्वेषक

विषय -सूची

क्रम संख्या	विषय वस्तु		पृष्ठ संख्या
	आभार		(i)
	योजना दल		(ii)
	विषय सूची		(iii)
	तालिका सूची		(iv)
1.0	**परिचय**		**1-2**
2.0	**विद्यमान विशेषताएं**		**3-16**
2.1	भौतिक स्वरूप और जलवायु		3
2.2	क्षेत्रीय परिदृश्य		3
2.3	ऐतिहासिक		5
2.4	जनांकिकी		5
2.5	व्यावसायिक संरचना		7
2.6	विद्यमान भू-उपयोग		7
	2.6 (1)	आवासीय	8
	2.6 (2)	वाणिज्यिक	9
	2.6 (3)	औद्योगिक	10
	2.6 (4)	राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय कार्यालय	10
	2.6 (5)	आमोद-प्रमोद	11
	2.6 (6)	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	12
	2.6 (6) (अ)	शैक्षणिक	12
	2.6 (6) (ब)	चिकित्सा	13
	2.6 (6) (स)	सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/ऐतिहासिक	13
	2.6 (6) (द)	अन्य सामुदायिक सुविधाएँ	13
	2.6 (6) (य)	जनोपयोगी सुविधाएँ	13
	2.6 (6) (य) (i)	जलापूर्ति	14
	2.6 (6) (य) (ii)	जल मल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन	14
	2.6 (6) (य) (iii)	विद्युत	15
	2.6 (7)	परिसंचरण	15
	2.6 (7) (अ)	यातायात व्यवस्था	15
	2.6 (7) (ब)	बस तथा ट्रक टर्मिनल	16
	2.6 (7) (स)	रेल सेवा	16
3.0	**नियोजन की संकल्पना**		**17-18**
3.1	नियोजन की नीतियाँ		17

3.2	नियोजन के सिद्धान्त़			18
4.0	**भावी आकार**			**19–23**
4.1	जनांकिकी			19
4.2	व्यावसायिक संरचना			19
4.3	नगरीय क्षेत्र			20
4.4	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र			21
4.5	योजना क्षेत्र			21
	(अ)	उत्तरी योजना क्षेत्र		22
	(ब)	पूर्वी योजना क्षेत्र		22
	(स)	दक्षिणी -पश्चिमी योजना क्षेत्र		23
	(द)	परिधि नियन्त्रण पट्टी योजना क्षेत्र		23
5.0	**भू-उपयोग योजना**			**24–39**
5.1	आवासीय			25
5.2	वाणिज्यिक			26
	5.2 (1)	विद्यमान शहरी केन्द्र एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियाँ		27
	5.2 (2)	वाणिज्यिक केन्द्र (सी.सी.)		28
	5.2 (3)	विशिष्ट वर्गीकृत एवं थोक बाजार		28
	5.2 (4)	भण्डारण एवं गोदाम		28
5.3	औद्योगिक			29
5.3 (1)	घरेलू उद्योग			29
5.4	राजकीय			30
5.4 (1)	सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय			30
5.5	आमोद-प्रमोद			30
5.6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक			31
	5.6 (1)	शैक्षणिक		31
	5.6 (2)	चिकित्सा		31
	5.6 (3)	सामाजिक /सांस्कृतिक/धार्मिक व ऐतिहासिक		32
	5.6 (4)	अन्य सामुदायिक सुविधाएँ		32
	5.6 (5)	जनोपयोगी सुविधाएँ		32
		5.6 (5) (अ)	जलापूर्ति	32
		5.6 (5) (ब)	विद्युत आपूर्ति	33
		5.6 (5) (स)	जल-मल निकास व्यवस्था	33
		5.6 (5) (द)	ठोस कचरा निस्तारण प्रबंधन	33
	5.6 (6) श्मशान एवं कब्रिस्तान			34
5.7	परिसंचरण			34
	5.7(1)	प्रस्तावित यातायात संरचना		34
		5.7 (1) (अ)	सड़को का मार्गाधिकार	35
		5.7 (1) (ब)	सड़को का चौड़ा करना एवं उनका सुधार	36

		5.7 (1) (स)	चौराहो का सुधार	36
		5.7 (1) (द)	पार्किंग व्यवस्था	36
	5.7 (2)	बस तथा ट्रक टर्मिनल		37
	5.7 (3)	रेल सेवा		37
5.8	परिधि नियंत्रण पट्टी			38
	5.8 (1)	ग्रामीण आबादी क्षेत्र		38
5.9	पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण			39
6.0	**मास्टर प्लान का क्रियान्वयन**			**40–42**
	6.1	प्रस्तावित आधार		40
	6.2	जन-सहयोग एवं जन सहभागिता		41
	6.3	भू-उपयोग, अंकन एवं भूमि अवाप्ति		41
	6.4	उपसंहार		42
परिशिष्ट :-	1 (अ)	राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्धरण		43
	1 (ब)	राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण		45
	2	राजकीय अधिसूचना क्रमांक प. 10 (193) नविवि/ 3 / 10 दिनांक 10 अगस्त 2010		47
	3	राजकीय अधिसूचना क्रमांक प. 10 (193) नविवि/ 3 / 10 दिनांक 19 जून 2012		48

तालिका -सूची

तालिका सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
तालिका -1	जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति, श्री माधोपुर- 1901-2001	6
तालिका -2	व्यावसायिक संरचना, श्री माधोपुर -2001-2011	7
तालिका -3	विद्यमान भू-उपयोग, श्री माधोपुर -2011	8
तालिका -4	वाणिज्यिक गतिविधियाँ, श्री माधोपुर -2011	9
तालिका -5	औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादित इकाइयाँ, श्री माधोपुर -2011	10
तालिका -6	राजकीय कार्यालय, श्री माधोपुर -2011	11
तालिका -7	शैक्षणिक संस्थाएँ , श्री माधोपुर -2011	12
तालिका -8	जल आपूर्ति वितरण, श्री माधोपुर -2011	14
तालिका -9	विद्युत कनेक्शन, श्री माधोपुर -2011	15
तालिका -10	जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति एवं अनुमान, श्री माधोपुर 1991-2031	19
तालिका -11	व्यावसायिक संरचना, श्री माधोपुर -2031	20
तालिका -12	योजना क्षेत्र, श्री माधोपुर -2031	22
तालिका -13	प्रस्तावित भू -उपयोग, श्री माधोपुर - 2031	25
तालिका -14	प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, श्री माधोपुर- 2031	27
तालिका -15	मानक सडक मार्गाधिकार, श्री माधोपुर -2031	35
तलिका -16	प्रस्तावित प्रमुख चौराहा विकास, श्री माधोपुर -2031	36

1
परिचय

श्री माधोपुर, राजस्थान के सीकर जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग का महत्वपूर्ण नगर है। राज्य की राजधानी जयपुर से 77 कि.मी., जिला मुख्यालय सीकर से 60 कि.मी., रींगस से 13 कि.मी. व देश की राजधानी दिल्ली से 256 कि. मी. दूर राज्य राजमार्ग संख्या 37 पर स्थित है।

दशक 1991-2001 में जनसंख्या वृद्धि दर 19.26 प्रतिशत के साथ 2001 में श्री माधोपुर की जनसंख्या 28492 दर्ज की गई जो वर्ष 2011 में 35600 हो जाने का अनुमान है।

श्री माधोपुर की स्थापना जयपुर रियासत के अंतर्गत जयपुर के राजा सवाई माधोसिंह जी के शासनकाल मे की गयी थी। इस शहर की बसावट जयपुर के अनुरूप योजनाबद्ध रूप से की गई थी। समीपवर्ती ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश के लिए कृषि उपज के विपणन का महत्वपूर्ण केन्द्र होने के कारण अन्य सामान्य वाणिज्यिक गतिविधियो व सामाजिक सुविधाओ का भी इस कस्बे में निरंतर विकास हुआ है।

कस्बे का विकास अनियोजित एवं अव्यवस्थित तरीके से हो रहा है। तंग सड़कें, अव्यवस्थित चौराहा, अनियोजित एवं अव्यवस्थित वाणिज्यिक स्थलों के विकास के साथ-साथ ही इन क्षेत्रों में आधारभूत जन-सुविधाओं का अभाव होने के कारण यहाँ अनेक समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं। शहर के बाहरी क्षेत्र में कृषि भूमि पर अनियोजित रूप से आवासीय विस्तार हो रहा है। इनमें भी जन सुविधाओं का नितान्त अभाव है एवं गंदे पानी की निकासी तथा जलप्रवाह प्रणाली की भी पूर्णतया कमी है, जिसके कारण आम जनता के सामान्य जन-जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कस्बे की बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं के अनुरूप तथा वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं की कमी को देखते हुए कस्बे के सुनियोजित विकास की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत दिनांक 10 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी कर श्री माधोपुर के नगरीय क्षेत्र में श्री माधोपुर सहित 10 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित कर वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर को मास्टर प्लान तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया है। जिसकी अनुपालना में वरिष्ठ नगर नियोजक जयपुर के मार्ग निर्देशन में सलाहकार आवास विकास लिमिटेड जयपुर के माध्यम से

मैसर्स सृष्टि अरबन इंफ्रास्ट्रेक्चर डवलपमेंट लि. कम्पनी द्वारा कस्बे का भौतिक एवं आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षण किया गया तथा द्वितीयक स्त्रोतों के माध्यम से आवश्यक सूचनाएँ संकलित कर विस्तृत विश्लेषण किया गया, जिनके आधार पर श्री माधोपुर कस्बे के मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार किया गया। इस मास्टर प्लान का आधार वर्ष 2011 व क्षितिज वर्ष 2031 रखा गया है। शहर की अनुमानित जनसंख्या हेतु विभिन्न नगरीय आवश्यकताओं का निर्धारण कर उनको योजनाबद्ध व समन्वित रूप से योजना रूप में प्रस्तावित किया गया। मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष 2031 में जनसँख्या 62,500 हो जाने का अनुमान है। इस अनुमानित जनसंख्या के लिए 1090 हैक्टेयर नगरीयकरण योग्य क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल अधिसूचित नगरीय क्षेत्र 8314 हैक्टेयर का 13.11 प्रतिशत है। इस मास्टर प्लान (प्रारूप) में नगर मानचित्र, सामान्यीकृत विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र, भू-उपयोग योजना मानचित्र 2031 एवं अधिसूचित राजस्व ग्रामों की सीमाओं को दर्शा कर नगरीय क्षेत्र मानचित्र 2031 सम्मिलित किए गए है।

मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार कर राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959, की धारा 5(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 07.06.2011 को प्रकाशित कर दिनांक 06.07.2011 तक (30 दिवस) आम जनता से आपत्ति/ सुझाव प्राप्त करने हेतु प्रकाशित किया गया। मास्टर प्लान से सम्बन्धित मानचित्रों की प्रदर्शनी नगरपालिका श्री माधोपुर में जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई। मास्टर प्लान की प्रतियाँ संबंधित विभागों एवं जनप्रतिनिधियों को भी प्रेवित की गई। मास्टर प्लान के प्रारूप पर प्राप्त/ सुझावों का विस्तृत परीक्षण एवं विश्लेषण कर मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया गया।

अतः मास्टर प्लान श्री माधोपुर राज्य सरकार के समक्ष राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 6(1) के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

प्रदीप कपूर)
वरिष्ठ नगर नियोजक,
जयपुर जोन, जयपुर

यह मास्टर प्लान राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः प 10(193)नविवि / 3/ 2010 जयपुर, दिनांकः 19 जून 2012 द्वारा अनुमोदित है।

2

विद्यमान विशेषताएँ

श्री माधोपुर, सीकर जिले का तहसील व उपखण्ड मुख्यालय है। इस कस्बे को वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार तृतीय श्रेणी के कस्बे का दर्जा दिया गया है। यह कस्बा अपने गौरवमय अतीत को समेटे राज्य की राजधानी जयपुर से 77 किमी. दूर उत्तर दिशा में, जिला मुख्यालय सीकर से 60 किमी. दूर दक्षिण पूर्व दिशा में, एंव राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 256 किमी. दक्षिणी पश्चिम दिशा की ओर राज्य राजमार्ग संख्या 37 पर समतल भूमि पर बसा हुआ है। कस्बे को सड़क व रेल मार्ग से प्रदेश व देश के अन्य नगरों/शहरों से अच्छा सम्पर्क उपलब्ध है।

2.1 भौतिक स्वरूप और जलवायु

श्री माधोपुर कस्बा भौगोलिक दृष्टि से 27°28' उत्तरी अक्षांश एवं 75°36' पूर्वी देशान्तर पर माध्य समुद्रतल से 480 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कस्बे का ढलान उत्तर-पश्चिम की ओर एवं पूर्व की ओर है।

कस्बे का सामान्यतः ग्रीष्मकालीन अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेन्टीग्रेड तथा शीतकाल का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेन्टीग्रेड रहता है जो कभी-कभी 1 डिग्री सेन्टीग्रेड तक गिर जाता है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 507 मिलीमीटर है। वर्षा दक्षिण-पश्चिम मानसून द्वारा जुलाई-अगस्त माह मे होती है तथा शीतकाल प्रायः शुष्क रहता है।

2.2 क्षेत्रीय परिदृश्य

सीकर जिले का महत्वपूर्ण कस्बा श्री माधोपुर,राज्य राजमार्ग संख्या 37 पर स्थित है। यह कस्बा सड़क मार्ग से रींगस, खण्डेला, सीकर, जयपुर व प्रदेश व देश के अन्य प्रमुख नगरों से भलीभांति जुड़ा हुआ है। श्री माधोपुर रेल मार्ग द्वारा नीम का थाना, रींगस, फुलेरा, जयपुर, रेवाड़ी आदि नगरों से जुड़ा हुआ है। कस्बे की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। इस क्षेत्र में बालू व दोमट चिकनी मिट्टी गहराई तक व्याप्त है। समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र की भूमि उपजाऊ है। क्षेत्र में रबी, खरीफ व जायद तीनों ही फसलें उत्पन्न होती है। रबी में मुख्यतः चना, सरसों, तारामीरा एवं जौ इत्यादि, खरीफ में मूंगफली, बाजरा, मूँग, मोठ, ग्वार आदि एंव इनके अलावा सब्जियो की निकटवर्ती क्षेत्र में पैदावार की जाती है।

2.3 ऐतिहासिक

इस कस्बे के आवासन से पूर्व फुसपुरा नामक एक ग्रामीण बस्ती अस्तित्व में थी। विक्रम सम्वत् 1807 में तत्कालीन जयपुर रियासत के प्रमुख मंत्री श्री कुशालीराम बोहरा, खण्डेला में किसी कार्यवश आये थे तब उन्होने अनुभव किया कि इस क्षेत्र के निवासियों को व्यापार व अन्य सामान के लिए जयपुर जाना पड़ता था। जयपुर की दूरी अधिक होने एंव तत्कालीन समय में साधनों के अभाव में बहुत समय बर्बाद होता था।

विक्रम सम्वत् 1818 में शंकर भगवान का मन्दिर व झांटी के बालाजी एवं कस्बे तीनों का शिलान्यास किया गया। शनैः शनैः इस कस्बे में महाजन, ब्राह्मण, ठठेरे, रंगरेज, किसान वर्ग आवासीत होते गये। नगर एक व्यापारिक केन्द्र के रूप में स्थापित हुआ। तत्कालीन समय में जयपुर रियासत में श्रीमाधोसिंह जी शासक थे इसलिए नगर का नाम उनके नाम पर श्री माधोपुर पड़ा।

विक्रम सम्वत् 1824 में गोपीनाथ जी के मन्दिर की स्थापना की गई, इस गोपीनाथ जी के मन्दिर में राधागोविन्द की मूर्तियाँ हैं। जयपुर में गोविन्द देव जी के मन्दिर की जो प्रतिष्ठा है, वैसी ही प्रतिष्ठा श्री माधोपुर में गोपीनाथ जी के मन्दिर की है। दोनों स्थानों में स्थापित मूर्तियाँ भी समकालीन है। इस मन्दिर में सुन्दर नक्काशी के साथ काँच से दीवारों को सजाने के लिए परम्परागत शैली का प्रयोग किया गया है।

श्री माधोपुर की स्थापना एवं बसावट जयपुर पद्धति पर होने के कारण इसको 'मिनी जयपुर' के नाम से जाना जाता है। श्री माधोपुर मे स्थित चौपड़ व सीधी गलियाँ जयपुर शहर की निर्माण शैली व आयताकार पद्धति की याद दिलाती है।

2.4 जनांकिकी

श्री माधोपुर, व्यापारिक गतिविधियों का केन्द्र रहा तथा इसको निर्माण काल से ही वाणिज्यिक गतिविधियो के कारण कस्बे के समान माना गया। इसलिए यह वर्ष 1901 से ही नगर की श्रेणी में गिना जाता रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से श्री माधोपुर का जिले में चौथा स्थान है। इस कस्बे की जनसंख्या वर्ष 1901 में 6892 थीं, जो लगातार दो दशकों में जनसंख्या का पलायन होने से वृद्धि दर नकारात्मक दर्ज की गई। वर्ष 1931 से 1951 तक कस्बे में जनसंख्या में सकारात्मक वृद्धि दर आंशिक रही। वर्ष 1951-1961 के दशक में कस्बे में 39.59 प्रतिशत वृद्धि दर दर्ज की गई। परन्तु वर्ष 1961-1971 के दशक में पुनः नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। इस दशक में कस्बे की जनसंख्या का पलायन हुआ। कस्बे में 1971-1981 के दशक में

सर्वाधिक वृद्धि दर 79.34 प्रतिशत दर्ज की गई। इस दशक में अच्छी वर्षा होने से क्षेत्र से पलायन हो चुकी जनसंख्या का पुनः कस्बे में आव्रजन माना जाता है। कस्बे में वर्ष 2001 में 19.26 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ 28492 जनसंख्या दर्ज की गई। यह वृद्धि दर राज्य स्तर पर 28.4 प्रतिशत एवं जिलास्तर पर 24.1 प्रतिशत से काफी कम है। इससे यह अनुमान लगाया गया कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर कम होने के कारण जनसंख्या का पलायन हुआ है। वर्ष 2011 में यहाँ की जनसंख्या 35,600 हो जाने का अनुमान है।

आधार वर्ष 2011 में कस्बे की जनसंख्या 35600 का अनुमान लगाया गया है। कस्बे का विकसित क्षेत्र 232.45 हैक्टेयर है, विकसित क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व 153 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर है। कस्बे का लिंगानुपात वर्ष 2001 के अनुसार 1000 पुरूषों पर 922 महिलायें दर्ज की गई, जो राज्य स्तर के लिंगानुपात 1000:922 के बराबर व राष्ट्रीय स्तर के अनुपात 1000:933 एवं जिलास्तर के अनुपात 1000:951 से कम है। कस्बे में शिशुओं में यह अनुपात 1000:848 ही पाया गया। तालिका -1 में कस्बे की जनसंख्या वृद्धि प्रवृति दर्शायी गई है।

तालिका-1

जनसंख्या वृद्धि प्रवृति, श्री माधोपुर 1901-2001

वष्ज्ञ	जनसंख्या	प्रतिशत वृद्धि दर
1901	6892	.....
1911	6738	-2.23
1921	6699	-0.58
1931	6995	+4.42
1941	7693	+9.98
1951	8278	+7.60
1961	11555	+39.59
1971	10294	-10.91
1981	18461	+79.34
1991	23891	+29.42
2001	28492	+19.26
2011*	35600	+25.00

(स्त्रोत- भारतीय जनगणना एवम अनुमान*)

2.5 व्यावसायिक संरचना

श्री माधोपुर कस्बे के आसपास मूंगफली, बाजरा, तिल, मूँग, मोठ, चना, सरसों, तारामीरा व जौ की पैदावार होती है। कस्बे में आटा, बर्फ, मुर्गीदाना, डेयरी, पत्थर चिराई, फव्वारा, फाउण्ड्री व ग्रेडिंग फेक्ट्री संचालित है। इनके अलावा तेल मील, ग्रेनाइट, सीमेन्ट, फर्नीचर आदि उद्योग व ईटं भट्टे स्थापित हैं। इन्हीं वस्तुओं को श्री माधोपुर के बाहर शहरों में विक्रय हेतु भेजा जाता है। श्री माधोपुर में कार्यशील व्यक्तियों का वर्ष 2001 में सहभागिता अनुपात 28.00 प्रतिशत है। कृषि कार्य आदि से कुल 1176 व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो मुख्य काम करने वालों का 14.74 प्रतिशत हैं। घरेलू उद्योग में कुल 409 व्यक्ति जुड़े हैं, जो मुख्य काम करने वालों का 5.13 प्रतिशत हैं। सबसे ज्यादा 6298 व्यक्ति अन्य सेवा कार्यों से जुड़े हुए हैं, जो मुख्य काम करने वालों का 78.94 प्रतिशत है।

श्री माधोपुर की वर्ष 2011 में 35600 जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2011 में कस्बे के कार्यशील व्यक्तियों का सहभागिता अनुपात 30 प्रतिशत अनुमानित किया गया है। तालिका-2 में कस्बे की व्यावसायिक संरचना को दर्शाया गया है।

तालिका-2

व्यावसायिक संरचना, श्री माधोपुर : 2001-2011

क्र. स.	व्यवसाय	श्रमिकों की संख्या (2001)		कार्यशील श्रमिकों की संख्या वर्ष-2011*	
		कामगार	प्रतिशत	कामगार	प्रतिशत
1.	काश्तकार	1176	14.74	1388	13
2.	खेतीहर मजदूर	95	1.19	214	2
3.	घरेलू उद्योग	409	5.13	748	7
4.	अन्य सेवाएँ	6298	78.94	8330	78
	योग	7978	100.00	10680	100.00
सहभागिता अनुपात			28.00		30.00

(स्त्रोत- भारतीय जनगणना एवं अनुमान*)

2.6 विद्यमान भू उपयोग

वर्ष 2011 में श्री माधोपुर कस्बे का नगरीयकृत क्षेत्रफल 306.79 हैक्टेयर है, जिसमें से लगभग 232.45 हैक्टेयर भूमि विकसित क्षेत्र है। विकसित क्षेत्र का लगभग 43.13 प्रतिशत आवासीय प्रयोजनार्थ है। व्यावसायिक भू-उपयोग में विकसित क्षेत्र का 7.61 प्रतिशत तथा औद्योगिक भू-उपयोग में विकसित क्षेत्र का लगभग 7.73 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त लगभग

10.22 प्रतिशत सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा 3.57 प्रतिशत राजकीय एवं अर्द्धराजकीय भू-उपयोग है। कस्बे में आमोद-प्रमोद के लिए मात्र 1.23 प्रतिशत भूमि है। नगरीयकृत क्षेत्र का औसत घनत्व लगभग 116 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर तथा विकसित क्षेत्र का औसत घनत्व लगभग 154 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर है।

तालिका संख्या-3

विद्यमान भू- उपयोग श्री माधोपुर -2011

क्र. स.	उपयोग	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकृत क्षेत्र का प्रतिशत
1	आवासीय	100.26	43.13	32.68
2	वाणिज्यिक	17.68	7.61	5.76
3	औद्योगिक	17.98	7.73	5.86
4	राजकीय एवं अर्द्धराजकीय	8.29	3.57	2.70
5	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	23.77	10.22	7.75
6	आमोद प्रमोद	2.85	1.23	0.92
7	परिसंचरण	61.62	26.51	20.09
कुल विकसित क्षेत्र		**232.45**	**100.00**	**75.76**
8	जलाशय	0.45		0.14
9	रिक्त भूमि एंव कृषि भूमि	73.89		4.10
नगरीयकृत क्षेत्र		306.79		100.00

(स्त्रोत- सर्वेक्षण)

2.6(1) आवासीय

आवासीय उपयोग के अन्तर्गत 100.26 हैक्टेयर भूमि है, जो कस्बे के कुल विकसित क्षेत्रफल का 43.13 प्रतिशत है। आवासीय भू-उपयोग, अन्य भू-उपयोगों की अपेक्षा सर्वाधिक है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कस्बे की जनसंख्या 28492 तथा मास्टर प्लान के आधार वर्ष 2011 में इसकी जनसंख्या लगभग 35600 अनुमानित की गई है। वर्तमान में नगरपालिका के 25 वार्ड है। वर्ष 2011 में औसत आवासीय घनत्व लगभग 355 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर है। बाहर के क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम है एवं पुरानी आबादी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है। श्री माधोपुर की आवासीय बसावट लगभग 250 वर्ष पुरानी है। तथा यह कस्बा नियोजित ढंग से बसा हुआ है। कस्बा, जयपुर शहर की पद्धति के आधार पर विकसित किया गया था जिससे चौपड सहित आयताकार सीधी गलियाँ आदि जयपुर स्टाइल विद्यमान है। इसमें जयपुर के समान प्रत्येक भवन में दो चौक की हवेलियाँ एवं मुख्य दरवाजे पर पोल एवं चबूतरे

बनाये हुए है। कस्बे के भीतरी भाग में आवासीय भवन एक दूसरे से सटे हुए है एवं अधिकांशतः दो मंजिल के भवन हैं। कस्बे के भीतरी भाग में आवासीय क्षेत्र में सड़कों की चौड़ाई कम एवम् नये विकसित क्षेत्रों में सड़के चौड़ी है। पुराने आवासीय क्षेत्रों में सामुदायिक सुविधाओं का अभाव है। कस्बे में नियोजित आवासीय क्षेत्रों का अभाव है।

2.6(2) वाणिज्यिक

कस्बे में, चौपड़ के चारों ओर, तीन नगरो व उनकी दिशाओं के अनुसार बाजारों का नाम रखा गया है। यथाः चौपड़ के पश्चिम में सीकर बाजार, उत्तर मे खण्डेला बाजार व दक्षिण में रींगस बाजार विद्यमान है। चौपड के पूर्व दिशा में लोहारू बाजार एक मुख्य बाजार है। शेष कस्बें में छुटपुट दुकानें हैं। श्री माधोपुर में 1268 दुकानें हैं एवं 140 थड़ियाँ हैं, जिनमें कुल 2207 व्यक्ति कार्यरत हैं। कस्बे में नियोजित 'अ' श्रेणी की कृषि उपज मण्डी न्यू कालोनी के उत्तर में संचालित है। जिसमें सभी सुविधायें उपलब्ध है। इस मण्डी का क्षेत्रफल लगभग 13 हैक्टेयर है। कस्बे में वाणिज्यिक गतिविधियाँ सकड़ी गलियों में फैलती जा रही है, जिससे यातायात बाधित रहता हैं। कस्बे में 17.68 हैक्टेयर भूमि वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए उपयोग में ली जा रही हैं, जो विकसित क्षेत्र की 7.61 प्रतिशत है। तालिका संख्या-4 में श्री माधोपुर की वाणिज्यिक गतिविधियों को दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-4
वाणिज्यिक गतिविधियाँ, श्री माधोपुर -2011

क्र.सं.	वाणिज्यिक प्रकार	इकाइयों की संख्या			कार्यरत व्यक्ति
		स्थाई	अस्थाई	कुल	
1	खुदरा सामान एवं जनरल स्टोर	248	11	259	396
2	मरम्मत, सिलाई, धोबी,नाई,मोची आदि	114	8	122	223
3	भवन निर्माण सामग्री	19	–	19	18
4	लकड़ी एवं लोहा का सामान	8	14	22	58
5	फल सब्जी एवं मीट	4	62	66	73
6	ढाबा, जलपान गृह, मिठाई आदि	105	31	136	227
7	स्टेशनरी,पत्र-पत्रिकाऐं,टाइपिंग,फोटोग्राफी,फोटोस्टेट	75	–	75	105
8	ऑटो पार्टस, मोटर साइकिल व मरम्मत,इंजीनियरिंग	37	–	37	63
9	घड़ी, रेडियो, विधुत उपकरण व टीवी (इलेक्ट्रोनिक्स)	155	–	155	210
10	कपड़े की दुकान व निर्मित वस्त्र	214	–	214	351
11	क्लिनिक एवं केमिस्ट	53	–	53	100
12	सुनार व ज्वैलर्स	64	–	64	107
13	अन्य	172	14	186	276
	योग	**1268**	**140**	**1408**	**2207**

(स्त्रोत- सर्वेक्षण)

2.6(3) औद्योगिक

श्री माधोपुर में जालपाली में राज्य राजमार्ग सं 37 अजीतगढ़ को जाने वाली सड़क पर औद्योगिक क्षेत्र रीको द्वारा विकसित किया गया है। इस क्षेत्र में 122 भूखण्ड विकसित किये गये है। इनमें 30 लघु व मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाइयाँ संचालित हैं, जिसमें लगभग 503 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें मुख्यतः तेल मील, ग्रेनाइट फैक्ट्री, सीमेन्ट, लोहे, प्लास्टिक पाईप तैयार करने के उद्योग, व आटा मील आदि हैं। इनके अलावा श्री माधोपुर में बर्तन बनाना, कपड़े पर रंगाई व छपाई, चमडें का सामान, मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी के कार्य, गोटे के कार्य, कशीदाकारी, चूड़ी बनाना, लोहे के विभिन्न सामान तैयार करना, पेन्टिंग आदि घरेलू उद्योगों के रूप में अपनी पहचान बनाये हुये हैं। कस्बे के आसपास पीली चिकनी मिट्टी होने से इस मिट्टी से मकान बनाने में प्रयुक्त ईंट तैयार की जा रही है। कस्बें के चारों ओर ईट भट्टे ईंटों का उत्पादन कर रहे हैं, इनमें सैकड़ों व्यक्ति रोजगार में लगे हुए है। यहाँ से ईटें जयपुर, रींगस, सीकर व आसपास के नगरों व ग्रामों में आपूर्ति की जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत नगर में 17.98 हैक्टेयर भूमि है, जो विकसित क्षेत्र का 7.73 प्रतिशत है। तालिका संख्या-5 में औद्योगिक इकाईयों की स्थिति को दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-5
औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादित इकाइयाँ, श्री माधोपुर -2011

क्र. स.	उद्योग का प्रकार	इकाइयों की संख्या	कार्यशील व्यक्ति
1.	कृषि आधारित उद्योग	9	135
2.	वनों पर आधारित उद्योग	5	145
3.	लोहा, सिल्वर उद्योग	11	133
4.	पत्थर से सम्बन्धित उद्योग	5	90
	योग	30	503

(स्त्रोत- सर्वेक्षण)

2.6(4) राजकीय एव अर्द्ध राजकीय कार्यालय .

श्री माधोपुर में कुल 21 राजकीय एवं अर्द्धराजकीय कार्यालय हैं, जिनमें 871 कर्मचारी कार्यरत है। इनमें भारतीय दूर संचार, डाकघर, सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय, नागंल़ भीम को जाने वाली सड़क पर स्थित है।

पी.एच.ई.डी., सहायक निदेशक कृषि विस्तार, रेल्वे, पंचायत समिति एंव क्रय-विक्रय सहकारी समिति, आबकारी विभाग, ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी विभाग स्टेशन रोड़ पर स्थित हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,रींगस को जाने वाली सड़क व रेलवे लाईन के बीच है। तहसील, पुलिस थाना, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,रीको, अजीतगढ को जाने वाले राज्य राजमार्ग-37 पर स्थित हैं। तालिका संख्या-6 में श्री माधोपुर के राजकीय कार्यालयों का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-6
राजकीय कार्यालय, श्री माधोपुर -2011

क्र. स.	कार्यालयों का प्रकार	कार्यालयों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या
1	केन्द्रीय सरकार	4	83
2	राज्य सरकार	10	221
3	अर्द्ध राज्य सरकार	4	511
4	स्थानीय निकाय	3	56
कुल		**21**	**871**

(स्त्रोत- सर्वेक्षण)

श्री माधोपुर में विद्यमान सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों हेतु भू-उपयोग 8.29 हैक्टेयर भूमि पर हैं, जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 3.57 प्रतिशत है।

2.6(5) आमोद प्रमोद

पर्यावरण की दृष्टि से पार्क एवं खुले स्थल नगर के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। स्वास्थ्यप्रद नगरीय जीवन के लिए पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण आवश्यक है। कस्बे में नगरीय स्तर के उद्यानों का अभाव है। नगरीयकरण के बढ़ते हुए दबाव से नगरीय जीवन तनावमय रहने के कारण, आमोद-प्रमोद की अत्यधिक आवश्यकता है। इस भू-उपयोग के अन्तर्गत 2.85 हैक्टेयर भूमि आती है जो विकसित क्षेत्र का 1.23 प्रतिशत है। श्री माधोपुर के उत्तर की ओर अविकसित अम्बेड़कर पार्क है। कस्बे में स्टेडियम, काचियागढ़ आश्रम की बगीची के पास विकसित हुआ है। कुछ विद्यालयों में भी खेल के मैदान हैं। कस्बे में तीज, गणगौर, झलझूलनी ग्यारस, जन्माष्टमी आदि पर्वों पर मेलों के आयोजन स्कूलों के खेल के मैदानो में सम्पन्न होते है। अन्य पर्यटन सुविधाओं का अभाव है। नगरपालिका द्वारा कस्बे में होली का दहन का

आयोजन किया जाता है। श्री माधोपुर कस्बे में सार्वजनिक मनोरंजन की सुविधायें नगरीय मानदण्डों के अनुपात में उपलब्ध नहीं है

2.6 (6) सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

श्री माधोपुर में 23.77 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है, जो विकसित क्षेत्र का 10.22 प्रतिशत है। कस्बे में वाँछित योजना मानदण्डों की अनुपातिक दृष्टि से सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं यथा शैक्षणिक, चिकित्सा, सामाजिक/सांस्कृतिक एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं का अभाव हैं।

2.6 (6) (अ) शैक्षणिक

यहाँ पर वर्तमान में राजकीय एवं निजी स्तर पर 23 शिक्षण संस्थाएँ हैं, जिनमें कुल 12,097 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इन संस्थाओं में लगभग 495 अध्यापक व कर्मचारी कार्यरत हैं। इन संस्थाओं में 16 राजकीय विद्यालय हैं, जिनमें से 4 प्राथमिक विद्यालय, 6 उच्च प्राथमिक एवं 6 सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय है। मानपुरिया शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय में 9 व्याख्याता व 215 छात्र अध्ययनरत है। निजी स्तर पर 5 शैक्षणिक संस्थाएँ है, जिनमें कुल छात्र 4097 व 133 व्याख्याता /कर्मचारी है। दो महाविद्यालय महावीर दल के पीछे व एक महाविद्यालय बस स्टैण्ड के पास एक महाविद्यालय कोर्ट के उत्तर में एवं एक महाविद्यालय राजपथ के पश्चिमी छोर पर स्थित है। एक आई.टी.आई. खण्डेला-रींगस रोड़ पर रेलवे फाटक के पास स्थित है जिसमे कुल 168 छात्र व 20 व्याख्याता/कर्मचारी कार्यरत है। तालिका सं. 7 में श्री माधोपुर में स्थित शिक्षण संस्थाओं के आंकड़े दर्शाये गये है।

तालिका -7

शैक्षणिक संस्थाएँ, श्री माधोपुर -2011

क.स.	विद्यालय (स्तर)	संख्या	छात्र	कर्मचारी
1.	प्राथमिक	4	2757	5
2.	उच्च प्राथमिक	6	1766	35
3.	माध्यमिक	6	3094	293
4.	संस्कृत महाविद्यालय	1	215	9
5.	कॉलेज (निजी)	5	4097	133
6.	आई.टी.आई.	1	168	20
		23	12097	495

(स्त्रोत- सर्वेक्षण)

2.6 (6) (ब) चिकित्सा

श्री माधोपुर में यहाँ के निवासियों एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को चिकित्सा सुविधाऐ उपलब्ध कराने हेतु राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नगरपालिका के पूर्व की ओर स्टेशन रोड़ पर स्थित है। जहॉ रोगियों को दोनो प्रकार की आउटडोर व इनडोर सुविधाएँ उपलब्ध है। इसमे डॉक्टर सहित 53 कर्मचारी कार्यरत है। इसके अतिरिक्त निजी क्लिनिक भी शहर में विभिन्न स्थलों पर स्थित है।

2.6 (6) (स) सामाजिक /सांस्कृतिक/धार्मिक/ऐतिहासिक

श्री माधोपुर कस्बे में विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम स्टेशन सड़क पर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय के मैदान व काचियागढ़ आश्रम की बगीची के पास स्टेडियम में आयोजित किये जाते हैं। कस्बे में तीज, गणगौर,जन्माष्टमी, दीपावली व होली के त्यौहार परम्परागत तरीकों से मिलजुलकर मनाते हैं।

श्री माधोपुर कस्बे में विद्यमान बस स्टेण्ड एवं रेल्वे फाटक के पास, धार्मिक स्थल हैं। कस्बे के भीतर विभिन्न मन्दिर, ईंदगाह, मस्जिदें आदि निर्मित हैं। जैन धर्मावलम्बियों के लिये जैन मन्दिर भी है। उक्त धार्मिक स्थलों में मुख्य गोपीनाथजी मन्दिर झांटी(खेजड़ी) वाले बालाजी,मन्दिर व शिव मन्दिर कस्बे की स्थापना से ही अस्तित्व में होने के कारण अति प्राचीन है।

2.6 (6) (द) अन्य सामुदायिक सुविधाएँ

श्री माधोपुर में एक सार्वजनिक पुस्तकालय तथा एक सिनेमा है। 3 बैंक एवं दो कृषि ऋण सहकारी समिति स्टेशन रोड पर स्थित है। दूरभाष कार्यालय, डाक एवं तार विभाग रेलवे फाटक के पास नांगल भीम सड़क के उत्तर की ओर विद्यमान है। पुलिस स्टेशन वन भूमि के पास अजीतगढ़ रोड़ पर है । धर्मशाला, होटल, पेट्रोल पम्प, गौशाला इत्यादि है। कस्बे में नगरीय स्तर की अन्य सामुदायिक सुविधाओं का अभाव है।

2.6 (6) (य) जनोपयोगी सुविधाएँ

विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, जल-मल निकास एवं निस्तारण व्यवस्था, नगरीय जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। पर्याप्त मात्रा में जल आपूर्ति एवं सुनियोजित जल निस्तारण व्यवस्था के

बिना, स्वस्थ वातावरण की कल्पना नहीं की जा सकती हैं। श्री माधोपुर मे ये सुविधाऐ निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप उपलब्ध नही है।

2.6 (6) (द) (i) जलापूर्ति

श्री माधोपुर में भू-जल ही जल आपूर्ति का मुख्य स्त्रोत है। श्री माधोपुर में औसतन 34 लीटर प्रति व्यक्ति जल की आपूर्ति की जाती है। वर्तमान में श्री माधोपुर में कुल 4344 कनेक्शन हैं, जिसमें से 3772 घरेलू व 456 वाणिज्यिक कनेक्शन हैं। कस्बें में पानी की आपूर्ति बोरवेल से की जाती है। जल आपूर्ति हेतु 450 किलोलीटर, 350 किलोलीटर व 150 किलोलीटर के तीन स्टोरेज रिजरवायर हैं। 350 किलोलीटर एवं 250 किलोलीटर के दो सी.डब्लू.आर.भी विद्यमान हैं। जल कनेक्शनों को तालिका-8 में दर्शाया गया है।

तालिका-8

जल आपूर्ति वितरण, श्री माधोपुर , 2011

क्र. सं.	श्रेणी	कनेक्शनों की संख्या
1.	घरेलू	3772
2.	वाणिज्यिक	456
3.	राजकीय	58
4.	सर्वजनिक	50
5.	औद्योगिक	8
	कुल	4344

(स्त्रोत- जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग. श्री माधोपुर)

2.6 (6) (य) (ii) जल मल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन

श्री माधोपुर कस्बे में जल-मल निस्तारण हेतु भूमिगत सीवरेज प्रणाली की व्यवस्था नहीं है। दूषित जल खुली नालियों में बहाया जाता है। जिससे वातावरण दूषित बना रहता है एवं अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैलने की आशंका बनी रहती है। नई बसी आवासीय कालोनियों में नालियों की व्यवस्था नही होने से लोगों द्वारा घरों का दूषित जल सीधा सड़कों पर प्रवाहित कर दिया जाता है तथा सड़कों पर गन्दा पानी इक्ट्ठा रहने से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। वर्षा काल में स्थिति और भी विकट हो जाती है।

2.6 (6) (य) (iii) विद्युत

कस्बे में, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इस कार्य के लिए 101 कर्मचारी कार्यरत हैं। कस्बे में विद्युत आपूर्ति हेतु कनेक्शनों की संख्या को तालिका-9 में दर्शाया गया है।

तालिका-9

विद्युत कनेक्शन, श्री माधोपुर -2011

क्र. सं.	श्रेणी	कनेक्शनों की संख्या
1.	घरेलू	4273
2.	वाणिज्यिक	1391
3.	कृषि	92
4.	औद्योगिक	168
5.	राजकीय	41
6.	थ्मश्रित	35
	कुल	6000

(स्त्रोत- अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. श्री माधोपुर)

2.6(7) परिसंचरण

श्री माधोपुर सड़क एवं रेल द्वारा देश के विभिन्न भागों से भली-भॉति जुड़ा हुआ है। श्री माधोपुर में परिसंचरण भू-उपयोग के अन्तर्गत 61.62 हैक्टेयर भूमि है जो विकसित क्षेत्र का 26.51 प्रतिशत है।

2.6(7) (अ) यातायात व्यवस्था

श्री माधोपुर कस्बा राज्य राजमार्ग 37 पर स्थित है यह राज्य राजमार्ग अजीतगढ़ से खंडेला व उदयपुरवाटी को जाता है। यह कस्बा सड़क मार्ग से रींगस, खण्डेला, सीकर, जयपुर आदि प्रमुख नगरों से भी जुड़ा हुआ है। यह कस्बा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर स्थित सीकर से 60 किलोमीटर दूर है और रींगस से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। कस्बे की सड़के नगरीय मानदण्ड़ों के अनुसार कम चौड़ाई की होने के कारण यातायात सुगम नहीं है। कुछ क्षेत्रों में फुटपाथ पर कब्जे व सड़कों पर चबूतरे निर्माण से उनकी वास्तविक चौड़ाई कम कर दी गई

है। पुराने आवासीय क्षेत्रों व नई कॉलोनियों में व्यावसायिक क्षेत्र विकसित हो रहे है। जिनमे पार्किंग हेतु व्यवस्था का अभाव है।

2.6(7) (ब) बस तथा ट्रक टर्मिनल

श्री माधोपुर में बस स्टेण्ड की व्यवस्था अस्थाई है। बसें मुख्य सड़कों पर खड़ी होने से यातायात में अवरोध रहता है। स्थाई बस स्टेण्ड नगरपालिका के पीछे निर्माणाधीन है।

श्री माधोपुर में, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का कार्यालय एवं कार्यशाला नगर के दक्षिण में, रींगस सड़क के पश्चिम में स्थित है। श्री माधोपुर में माल का आवागमन ट्रकों से भी होता है। ट्रकों को खड़े होने के लिए कोई स्थान सुनिश्चित नहीं है। सड़क पर ही ट्रक खड़े रहते हैं एवं मरम्मत का कार्य भी सड़क पर ही होता रहता है, जिससे नगर के यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है।

2.6(7) (स) रेल सेवा

श्री माधोपुर रेल मार्ग द्वारा नीम का थाना, रींगस, फुलेरा, जयपुर, रेवाड़ी, आदि नगरों से जुड़ा हुआ है। रेल्वे स्टेशन के अन्दर बाहर नगरीय मानदण्डों के अनुसार जनसुविधाऐ विकसित किया जाना तथा वाहनो की पार्किंग हेतु व्यवस्थित स्थल विकसित किया जाना आवश्यक है।

3

नियोजन की संकल्पना

श्री माधोपुर के भावी विकास हेतु मास्टर प्लान प्रारूप के प्रस्ताव, श्री माधोपुर की वर्तमान परिस्थितियों तथा इसकी भावी संभावित विकास पद्धति को ध्यान में रखते हुये तैयार किये गये हैं।

श्री माधोपुर में पिछले दशकों में समुचित विकास योजना तथा समन्वित विकास कार्यक्रमों के अभाव में कस्बे का भौतिक स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। जिससे आवासीय एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में संमन्वय नहीं है। अव्यवस्थित विकास, मिश्रित भू-उपयोग, जल-मल निकास की व्यवस्था न होना इत्यादि ने कस्बे में रहने व कार्य करने के वातावरण को काफी प्रभावित किया है। अतः योजना का उद्देश्य आवासीय क्षेत्रों तथा कार्यस्थलों में उचित समन्वय स्थापित करना, मनोरंजन एवं अन्य सामुदायिक सुविधा तक पहूँच आसान बनाकर शहर की उक्त समस्याओं को कम करना तथा एक स्वच्छ रिहायशी वातावरण तैयार करना है। इसलिये श्री माधोपुर के मास्टर प्लान में यहाँ के निवासियों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास किया गया है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है, कि भविष्य में विकास सुनियोजित तथा सुव्यवस्थित हो। साथ में यह उद्देश्य रखा गया है कि योजना काल में कस्बे के आसपास सामुदायिक सुविधाओं, सेवाओं, व्यापार, वाणिज्यिक, उद्योग एवं रोजगार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके ताकि श्री माधोपुर का विकास, आवास तथा कार्य करने के लिये एक अच्छे नगर के रूप में हो। मास्टर प्लान में भावी विकास के प्रावधानों को प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र में दर्शाया गया है।

3.1 नियोजन की नीतियाँ

श्री माधोपुर प्रशासनिक दृष्टि से उपजिला मुख्यालय है। यह समीपवर्ती पृष्ठ ग्रामीण क्षेत्र की कृषि उपज के विपणन का महत्वपूर्ण केन्द्र है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरीडोर मे स्थित होने के कारण औद्योगिक विकास की भी विपुल संभावनाऐ है। अतः श्री माधोपुर कस्बे मे विकास की परिकल्पना एक प्रशासनिक, औद्योगिक व व्यावसायिक उपक्षेत्रीय केन्द्र के रूप मे की गई है।

3.2 नियोजन के सिद्धान्त

ऊपर वर्णित नियोजन की नीतियों के संदर्भ में श्री माधोपुर को उप क्षेत्रीय विकास केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु श्री माधोपुर की भूमि उपयोग योजना तैयार करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए गए है:-

1. वाणिज्यिक गतिविधियों का वितरण सही और पदसोपान के क्रम के अनुसार नगर, समुदाय एवं स्थानीय स्तर पर उपयुक्त स्थान पर होना आवश्यक है, ताकि सभी आवासीय क्षेत्र पूर्ण रूप से इनका लाभ उठा सकें। ऐसा करने से मुख्य बाजार एवं वाणिज्य क्षेत्र की भीड-भाड को कम करने में सहायक होगा ।
2. थोक व्यापार की गतिविधियों को स्पष्ट एवं उपयुक्त स्थानों पर स्थापित किया जाना चाहिए ।
3. सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों के लिए भूमि का आरक्षण समुचित मात्रा में किया जाना चाहिये, जो कि मुख्य सड़कों एवं आवासीय क्षेत्रों को दृष्टिगत रखते हुए होना चाहिये ।
4. यातायात संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर (पदसोपान के अनुसार) इनका विकास करना आवश्यक है। भारी वाहनों के प्रवेश को शहर में हतोत्साहित करना चाहिये । ट्रक एवं बस अड्डे का प्रावधान सही स्थानों पर किया जाना चाहिये ।
5. सामुदायिक सुविधाओं, जनोपयोगी सेवाओं का विकास समस्त नगरीय क्षेत्र में, नगर नियोजन के मान्य मानदण्डों के अनुसार, आवासीय घनत्व की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिये ।
6. भू-उपयोग योजना इस तरह तैयार की जानी आवश्यक है कि पुरानी बस्तियों व नये विकसित क्षेत्रों के मध्य, अधिक सामंजस्य स्थापित हो सके । इस प्रकार दोनों क्षेत्र एक-दूसरे के आर्थिक, सामाजिक स्वरूप व हितों को हानि पहुंचाये बिना उन्नत एवं विकसित हो सकें ।
7. सुव्यवस्थित जल-मल निस्तारण एवं नालियों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे शहर का वातावरण स्वच्छ एवं सुन्दर बना रहे ।
8. औद्योगिक गतिविधियाँ एकीकृत रूप से ऐसे स्थल पर विकसित की जानी चाहिए, जिससे नगर के निवासियों को रोजगार प्राप्त हो सके एवं सामान्य व्यापार व व्यवसाय में वृद्धि हो किन्तु नगर के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।
9. इस क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के स्थलों का संरक्षण कर प्राकृतिक वातावरण व धार्मिक सामाजिक पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

4

भावी आकार

श्री माधोपुर के नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत श्री माधोपुर सहित 10 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। नगरीय क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 8314 हैक्टेयर है। वर्ष 2001 की जनगणनानुसार कस्बे की जनसंख्या 28492 थी, आधार वर्ष 2011 के लिए 35600 व क्षितिज वर्ष 2031 के लिए जनसंख्या 62,500 होने का अनुमान लगाया गया है। इस बढ़ी हुई जनसंख्या एवं भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न प्रयोजनार्थ भूमि की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विस्तृत योजना तैयार की गई है।

4.1 जनांकिकी

दशक 1991-2001 में जनसंख्या वृद्धि दर 19.26 प्रतिशत के साथ वर्ष 2001 में श्री माधोपुर की जनसंख्या 28492 दर्ज की गयी। वर्ष 2011 में यहॉ की जनसंख्या 35,600 हो जाने का अनुमान है। श्री माधोपुर कस्बे में योजना अवधि मे व्यावसायिक व औद्योगिक गतिविधियो मे वृद्धि के कारण रोजगार के अवसर बढेंगे जिससे आव्रजन मे वृद्धि होना संभावित है। अतः वर्ष 2031 मे यहॉ की जनसंख्या 62,500 अनुमानित की गई है। जनसंख्या अनुमान लगाते समय प्राकृतिक वृद्धि दर, आव्रजन व अन्य कारको का ध्यान रखा गया है। वर्ष 1991 से 2031 तक श्री माधोपुर की जनसख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमानो को तालिका-10 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या - 10
जनंसख्या वृद्धि प्रवृत्ति एवं अनुमान-श्री माधोपुर 1991-2031

वर्ष	जनसंख्या	प्रतिशत वृद्धि दर
1991	23891	29.41
2001	28492	19.26
2011*	35600	25.00
2021*	46300	30.00
2031*	62500	35.00

(स्त्रोत-जनगणना 2001 एवें अनुमान*)

4.2 व्यावसायिक संरचना

वर्ष 2001 में श्री माधोपुर के कार्यशील व्यक्तियों का सहभागिता अनुपात 28 प्रतिशत था। आधार वर्ष 2011 के लिए सहभागिता अनुपात 30 प्रतिशत अनुमानित किया गया है। क्षितिज वर्ष 2031 में नगर की व्यावसायिक संरचना का आंकलन व भविष्य की आर्थिक

सम्भावनाओं और विद्यमान परिस्थितियों के साथ अन्य नगरों का तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर किया गया है।

यह अनुमान है कि श्री माधोपुर में व्यापार एवं वाणिज्यिक औद्योगिक व अन्य सेवाओं क्षेत्रों में विकास होगा। इस प्रकार नगरीय गतिविधियों में वृद्धि के कारण कृषि गतिविधियों मे कार्यशील व्यक्तियो के प्रतिशत में कमी आयेगी तथा शेष क्षेत्रों में कार्यशील व्यक्तियों के प्रतिशत में वृद्धि होगी। इस आधार पर क्षितिज वर्ष के लिए कार्यशील व्यक्तियों का सहभागिता अनुपात 32 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। तालिका-11 में अनुमानित व्यावसायिक संरचना 2031 को दर्शाया गया है।

तालिका संख्या - 11
प्रस्तावित व्यावसायिक संरचना, श्री माधोपुर -2031

क्र.सं.	व्यवसाय	कार्यशील श्रमिक, 2011		कार्यशील श्रमिक, 2031	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	काश्तकार	1388	13	1800	9
2	खेतीहर मजदूर	214	2	200	1
3	घरेलू उद्योग	748	7	1600	8
4	अन्य सेवाएं	8330	78	16400	82
	कुल	10680	100	20000	100.00
सहभागिता अनुपात			30.00		32.00

उपर्युक्त तालिका के अनुसार क्षितिज वर्ष 2031 में 20,000 व्यक्ति कार्यशील रहेंगे। इनमें 9 प्रतिशत काश्तकार, 1 प्रतिशत खेतीहर मजदूर, 8 प्रतिशत घरेलू उद्योगों में व 82 प्रतिशत अन्य सेवाओं में कार्यरत होने का अनुमान लगाया गया है।

4.3 नगरीय क्षेत्र

श्री माधोपुर कस्बे का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत श्री माधोपुर सहित 10 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए दिनांक 10.08.2010 को एक अधिसूचना जारी कर इसका नगरीय क्षेत्र अधिसूचित किया गया है जिसका कुल क्षेत्र 8314 हैक्टेयर है। नगरीय क्षेत्र में अधिसूचित राजस्व ग्रामों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न की गई है । श्री माधोपुर के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र को चार योजना क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर अनियोजित

विकास को नियन्त्रित करने, पर्यावरण संरक्षण एवं कृषि को महत्व देने की दृष्टि से परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र

श्री माधोपुर की जनसंख्या वर्ष 2031 में 62500 होने का अनुमान लगाया गया है। नगर की वर्तमान जनसंख्या लगभग 35600 अनुमानित है। इस प्रकार बढ़ी हुई जनसंख्या 26900 के लिये अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी। नगर के भविष्य में होने वाले विस्तार को ध्यान में रखते हुये वर्ष 2031 में कुल 1090.00 हैक्टेयर भूमि नगरीय आवश्यकताओं हेतु नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में प्रस्तावित की गयी है। नगर का प्रस्तावित जनघनत्व 57 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर होने का अनुमान है। नगर के भावी विस्तार हेतु भूमि का आंकलन करने हेतु वर्तमान वृद्धि की प्रकृति, विकास के लिये क्षेत्र का उपयुक्त होना, सरकारी भूमि की उपलब्धता, कृषि एवं अकृषि भूमि का वितरण एवं पर्यावरण के साथ संतुलन का ध्यान रखा गया है। विकास मुख्यतः नगर के पूर्व, उत्तर, दक्षिण-पूर्व की ओर प्रस्तावित किया गया है। इन दिशाओ में भूमि खाली है तथा आसानी से उपलब्ध करवायी जा सकती है। योजना में केवल ऐसी कृषि भूमि को शामिल किया गया है, जो कस्बे के निकट होने के कारण उन पर नगरीय विकास का दवाब है। नगरीयकरण योग्य भूमि का विभिन्न उपयोगों हेतु वर्गीकरण भावी जनसंख्या के कार्यकलापों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया है।

4.5 योजना क्षेत्र

श्री माधोपुर के प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र को विकास की दृष्टि से चार योजना क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित परिधि नियन्त्रण योजना क्षेत्र को छोडकर शेष प्रत्येक योजना क्षेत्रों में सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। योजना क्षेत्रों का निर्धारण करते समय वर्तमान प्रणाली, भौतिक अवरोधों, आर्थिक गतिविधियों व विभिन्न क्षेत्रों के पारस्परिक कार्य संबंधों को ध्यान में रखा गया है । इन योजना क्षेत्रों में आवास, बाजार एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं का प्रावधान किया गया है, जिससे ये योजना क्षेत्र अपने आप में आत्मनिर्भर होंगे । नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर नगर के अनियोजित विकास को नियंत्रित करने की दृष्टि से अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सीमा तक परिधि नियंत्रण पट्टी योजना क्षेत्र

प्रस्तावित किया गया है । प्रत्येक योजना क्षेत्र हेतु प्रस्तावित क्षेत्र तथा जनसंख्या को तालिका संख्या-12 में सूचीबद्ध किया गया है ।

तालिका संख्या -12
प्रस्तावित योजना क्षेत्र

क्र.सं.	योजना क्षेत्र	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या
1.	उत्तरी योजना क्षेत्र	372.00	22500
2.	पूर्वी योजना क्षेत्र	417.00	21000
3.	दक्षिण-पश्चिमी योजना क्षेत्र	301.00	19000
	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	**1090.00**	**62500**
4.	परिधि नियंत्रण पट्टी योजना क्षेत्र	7224.00	
	कुल अधिसूचित नगरीय क्षेत्र	**8314.00**	

(अ) उत्तरी योजना क्षेत्र

इस योजना क्षेत्र में मुख्यतः पुरानी आबादी का क्षेत्र शामिल किया गया है। इस योजना क्षेत्र में रींगस-नीम का थाना रेल्वे लाइन के पश्चिम की ओर तथा विद्यमान 60 मी. बाहय मार्ग के पूर्व की ओर तथा स्टेशन रोड़ से चिकित्सालय, नगरपालिका के सामने की राजपथ रोड़ के उत्तर से प्रस्तावित 30 मी. प्रमुख सड़क के दक्षिण तक का क्षेत्र है ।

इस योजना क्षेत्र के अन्तर्गत पुरानी आबादी क्षेत्र, विद्यमान कृषि उपज मण्डी, गौशाला, पुस्तकालय, गोपीनाथ मन्दिर, दशहरा मैदान, शिव मन्दिर, झांटी वाले बालाजी, आदि स्थित है।

इस योजना क्षेत्र में पार्क, वाणिज्यिक केन्द्र, चिकित्सा सुविधाओ, अन्य सामुदायिक सुविधायें, जनउपयोगी सुविधाओ, माध्यमिक विद्यालय, व्यावसायिक महाविद्यालय हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। इस योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 372.00 हैक्टेयर है। इस योजना क्षेत्र में क्षितिज वर्ष 2031 के लिए 22,500 जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है।

(ब) पूर्वी योजना क्षेत्र

इस योजना क्षेत्र में मुख्यतः रेल्वे लाइन के पूर्व का क्षेत्र शामिल किया गया है। यह योजना क्षेत्र रींगस-नीम का थाना रेल्वे लाइन के पूर्व की ओर से प्रस्तावित 30 मी. प्रमुख मार्ग के पश्चिम में है। इस योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 417 हैक्टेयर है। इस योजना क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस, दूरसंचार कार्यालय, अजमेर.वि.वि.नि.लि.का पावर हॉउस, पशु चिकित्सालय, जालपाली औद्योगिक क्षेत्र, तहसील पुलिस स्टेशन, रोडवेज कार्यालय एवं आगार आदि स्थित है।

इस योजना क्षेत्र में आवासीय क्षेत्रों के अलावा, क्षेत्र के उत्तरी भाग में औद्योगिक क्षेत्र, माध्यमिक विद्यालय, चिकित्सालय, वाणिज्यिक केन्द्रों, पार्क अन्य सामुदायिक सुविधाओं महाविद्यालय, व गोदाम हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये है। इस योजना क्षेत्र में क्षितिज वर्ष 2031 के लिए 21,000 जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है।

(स) दक्षिण-पश्चिमी योजना क्षेत्र

इस योजना क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्यतः रेल्वे स्टेशन के सामने का क्षेत्र सम्मिलित है। इस योजना क्षेत्र में रींगस-नीम का थाना रेल्वे लाइन के पश्चिम की ओर तथा नगरपालिका के सामने की राजपथ रोड़ के दक्षिण की ओर व विद्यमान प्रस्तावित 60 मीटर बाहय मार्ग के मध्य का क्षेत्र है। इस योजना क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगरपालिका, एस.डी. एम.कार्यालय, बस स्टेण्ड, राजकीय सीनियर सैकण्डरी विद्यालय, धर्मशाला, ब्लाक सी.एम.ओ. पंचायत समिति, पेट्रोल पम्प, क्रय-विक्रय सहकारी समिति, महाविद्यालय, जलदाय विभाग,आई.टी. आई आदि स्थित है।

इस योजना क्षेत्र में स्टेडियम, ट्रक टर्मिनल, सरकारी कार्यालयों के लिए, अन्य सामुदायिक सुविधाएँ, चिकित्सालय, बस स्टेण्ड, पार्क, माध्यमिक विद्यालय, वाणिज्यिक केन्द्र के लिए स्थल प्रस्तावित किये गये हैं।

इस योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 301 हैक्टेयर है। इस योजना क्षेत्र में क्षितिज वर्ष के लिए जनसंख्या 19,000 होने का अनुमान लगाया गया है।

(द) परिधि नियंत्रण पट्टी योजना क्षेत्र

नगरीयकरण योग्य क्षेत्र व अधिसूचित नगरीय क्षेत्र के मध्य में स्थित क्षेत्र को इस योजना क्षेत्र में शामिल किया गया है। यह क्षेत्र ग्रामीण प्रकृति का होगा और यहाँ पर भूमि का उपयोग कृषि, जंगलात, बागवानी, उद्यान एवं इससे संबंधित कार्यों के लिये ही किया जायेगा। परिधि नियंत्रण क्षेत्र में अवाँछित नगरीय विकास की अनुमति नहीं दी जायेगी और मुख्यतः कृषि कार्यों की ही प्रधानता रहेगी । इस योजना क्षेत्र में राजमार्ग सेवा केन्द्र, ग्रामीण आबादी का विस्तार, गौशाला, दुग्ध शाला, मोटल, कुक्कुट शालायें, रिसोर्ट, फार्म हाउस, कृषि सेवा केन्द्र, एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क आदि निर्धारित मानदण्डों के अनुसार स्वीकृत किये जा सकेंगे। शहर के भावी समेकित विकास की दृष्टि से परिधि नियंत्रण पट्टी का अहम महत्व रहेगा। इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 7224 हैक्टेयर है।

5

भू-उपयोग योजना

भू-उपयोग योजना विभिन्न योजनागत नीतियों और सिद्धान्तो का स्थानिक विस्तार के रूप में स्थानान्तरण है। इसकी रचना नगर की विद्यमान विशेषताओं एवम् सम्भावित आर्थिक संरचना के आधार पर की गई है। नगरीय भूमि दुर्लभ संसाधन है, अतः इसका उपयोग जहाँ तक सम्भव हो, समस्त नागरिको की आवश्यकताओं तथा विधि सम्मत आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाना चाहिए। सम्पूर्ण अधिसूचित नगरीय क्षेत्र का संतुलित तथा समन्वित विकास इसका प्रमुख लक्ष्य है। श्री माधोपुर नगरीय क्षेत्र के भावी विकास की दिशा को निर्देशन प्रदान करना इस मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य है । मास्टर प्लान विभिन्न भौतिक एवं सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों, अध्ययनों, वर्तमान विकास की प्रकृति, वृद्धि दर, आर्थिक संरचना, यातायात व्यवस्था एवं नगर के ं वाँछित विकास की दिशा को ध्यान में रखकर बनाया गया है । इस मास्टर प्लान का आधार वर्ष 2011 एवं क्षितिज वर्ष 2031 रखा गया है । मास्टर प्लान का उद्देश्य नगर का संतुलित एवं समन्वित विकास करना है । इसके साथ-साथ नगर के निवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा गया है । अतः मास्टर प्लान नगर के भावी विकास के लिये मार्गदर्शक का कार्य करेगा ।

श्री माधोपुर की जनसंख्या क्षितिज वर्ष 2031 में 62,500 होने का अनुमान है। आधार वर्ष 2011 में नगर की अनुमानित जनसंख्या लगभग 35,600 है । इस प्रकार नगर की बढ़ी हुई जनसंख्या 26,900 के लिये अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी। भविष्य के विकास हेतु, अनुमान लगाया गया है कि क्षितिज वर्ष 2031 तक 62,500 की जनसंख्या के लिये पर्याप्त आवासीय क्षेत्रों, कार्य स्थलो, सामुदायिक सुविधाओं के साथ सुगम यातायात व्यवस्था के लिए कुल 1090 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। नगर का प्रस्तावित घनत्व 57 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर होने का अनुमान है। शहर के भावी विस्तार हेतु वर्तमान वृद्धि की प्रवृत्ति, विकास के लिये क्षेत्र का उपयुक्त होना, भूमि की मितव्ययता से उपयोग, भौतिक अवरोधों एवं सम्पूर्ण पर्यावरण को ध्यान में रखा गया है।

क्षितिज वर्ष 2031 तक की आवश्यकताओं हेतु 1090.00 हैक्टेयर नगरीयकरण योग्य क्षेत्र एवं 1081.50 हैक्टेयर विकास योग्य क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जिसमें से 584.24 हैक्टेयर भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ प्रस्तावित है, जो कि कुल प्रस्तावित विकास योग्य

क्षेत्र का 53.67 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त 4.60 प्रतिशत वाणिज्यिक, 3.96 प्रतिशत औद्योगिक, 3.06 प्रतिशत राजकीय, 3.78 प्रतिशत आमोद-प्रमोद, 11.24 प्रतिशत सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, एवं शेष 19.68 प्रतिशत भूमि परिसंचरण प्रयोजनार्थ प्रस्तावित की गई है। श्री माधोपुर कस्बे में क्षितिज वर्ष 2031 हेतु प्रस्तावित भू-उपयोग को तालिका संख्या-13 में दर्शाया गया है ।

तालिका संख्या-13
प्रस्तावित भू-उपयोग, श्री माधोपुर -2031

क. स.	उपयोग	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	विकास योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आवासीय	584.24	53.67	53.60
2.	वाणिज्यिक	50.09	4.60	4.60
3.	औद्योगिक	43.15	3.96	3.96
4.	राजकीय	33.31	3.06	3.06
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	122.40	11.24	11.23
6.	आमोद-प्रमोद	41.12	3.78	3.77
7.	परिसंचरण	214.19	19.68	19.65
	विकास योग्य क्षेत्र	**1088.50**	**100.00**	**99.86**
8.	जलाशय	0.45		0.04
9.	नर्सरी	1.05		0.10
	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	**1090.00**		**100.00**

5.1 आवासीय

आवासीय प्रयोजनार्थ कुल 584.24 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जो विकास योग्य क्षेत्र का 53.67 प्रतिशत है। नियोजन की अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक नगरीय इकाई को स्वावलम्बी समूहों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें सबसे छोटे चरण को भारतीय परिवेश में मौहल्ला कहा जाता है। ऐसे मौहल्लों में सामान्यतः 50-100 परिवार निवास करते हैं। इन मौहल्लों में पारिवारिक आत्मीयता, व्यक्तिगत एवं आपसी सम्बन्धों की प्रगाढ़ता बनी रहती है। कुल मौहल्लों के समूहों को मिलाकर बनी बस्तियों को, योजना इकाई कहा जाता है, जिसकी आबादी 1000-2000 होती है। ऐसी योजना के केन्द्रीय स्थल पर प्राथमिक विद्यालय एवं वाणिज्यिक सुविधा के रूप में छोटी दुकानें, लघु उद्यान, चिकित्सा सुविधा आदि उपलब्ध होती हैं।

इस प्रकार से चार से पाँच योजना इकाइयाँ मिलकर एक आवासीय योजना क्षेत्र बनता हैं। ऐसे प्रत्येक आवासीय योजना क्षेत्र में, एक माध्यमिक विद्यालय, स्थानीय शॉपिंग सेन्टर, सार्वजनिक उद्यान और अन्य सामुदायिक सुविधाओं का प्रावधान होता है। इस प्रकार श्री माधोपुर नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की क्षितिज वर्ष 2031 के लिए 62,500 जनसंख्या को विभिन्न योजना क्षेत्रों में बाँटा गया हैं। स्थानीय स्तर की विभिन्न सुविधाएँ जैसे प्राथमिक विद्यालय, औषधालय, उद्यान, खेल के मैदान, शॉपिंग सेन्टर एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं का प्रावधान, मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप विस्तृत योजनाऐं बनाकर किया जायेगा।

भू-उपयोग योजना मानचित्र में आवासीय क्षेत्रों के समीप, कार्यस्थल प्रस्तावित किये गये हैं। नगर के विकास की दिशा को ध्यान में रखते हुए, सभी योजना क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं। इनके पास ही राजकीय कार्यालय, चिकित्सा, शैक्षणिक, वाणिज्यिक एवं सामुदायिक सुविधायें प्रस्तावित की गई हैं। यह प्रयास किया गया है कि कार्यस्थलों में कार्यरत लोगों को समीपस्थ क्षेत्र में आवासीय सुविधा उपलब्ध हो, ताकि कार्य करने के लिए अधिक दूर नहीं जाना पड़े। भू-उपयोग योजना मे औसत आवासीय घनत्व 107.00 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों के लिये दो प्रकार के आवासीय घनत्व क्रमशः 175 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर तक एवं 175 से अधिक व्यक्ति प्रति हैक्टेयर प्रस्तावित किये गये हैं। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवास हेतु स्थानीय निकाय,आवासन मण्डल आदि संस्थाओं द्वारा विशेष योजनाएँ बनाया जाना प्रस्तावित है। स्थानीय निकाय एवं निजी विकासकर्ता की आवासीय योजनाओं में भी आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों हेतु, भूखण्ड व आवास आरक्षित रखा जाना प्रस्तावित है। नीम का थाना सड़क के पश्चिम में तथा कस्बे के दक्षिण में प्रस्तावित बाईपास सड़क पर औद्योगिक क्षेत्र के पास अफोर्डेबल आवासीय योजना हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये है।

5.2 वाणिज्यिक

वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत विद्यमान क्षेत्र सहित कुल प्रस्तावित क्षेत्र 50.09 हैक्टेयर है। जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 4.60 प्रतिशत होगा। स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र, विशिष्ट एवं थोक बाजार, गोदाम एवं भण्डारण आदि प्रस्तावित भू-उपयोग योजना मानचित्र में दर्शाये गये हैं। विस्तृत योजना बनाते समय विभिन्न प्रकार की खुदरा दुकानें, सर्विस सेन्टर इत्यादि प्रस्तावित किये जा सकेंगे। भू-उपयोग योजना में सात स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्रों का प्रावधान किया गया है। तालिका संख्या-14 में प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों के विवरण को दर्शाया गया है।

तालिका संख्या- 14
प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, श्री माधोपुर 2031

क्र.सं.	विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1.	विद्यमान शहरी केन्द्र एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियाँ	5.23
2.	प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्र अ-उत्तरी योजना क्षेत्र में 1. खण्डेला सड़क के पूर्व में 2. विद्यमान बाहय मार्ग के पूर्व में 3. प्रस्तावित चिकित्सालय के दक्षिण में ब-पूर्वी योजना क्षेत्र में 4. विद्यमान रींगस सड़क पर रेल्वे फाटक के समीप 5. कालू वाली ढाणी के पास स- दक्षिण पश्चिमी योजना क्षेत्र में 6. विद्यमान बाहय मार्ग के दक्षिण की ओर 7. रेल्वे लाइन के पश्चिम की ओर प्रस्तावित स्टेडियम के उत्तर में	 3.25 2.66 1.96 3.79 2.32 4.31 4.72
3.	विशिष्ट एवं थोक बाजार विद्यमान व प्रस्तावित	18.16
4.	गोदाम एवं भण्डारण	3.69
	कुल योग	**50.09**

5.2 (1) विद्यमान शहरी केन्द्र एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियाँ

कस्बे के आन्तरिक भाग एवं प्रमुख मार्गों पर विद्यमान वाणिज्यिक गतिविधियाँ, श्री माधोपुर के दैनिक वाणिज्यिक क्रियाकलापों का एक मुख्य केन्द्र है। इस सघन विकसित क्षेत्र में, अधिक विस्तार की सम्भावना नहीं है। अतः यह क्षेत्र पुराने शहर के मुख्य वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में अपनी सतत् सेवायें प्रदान करता रहेगा तथा कस्बे के मुख्य खुदरा व्यापार केन्द्र के रूप में यथावत बना रहेगा। कस्बे के आन्तरिक भाग में वर्तमान में कार्यरत थोक वाणिज्यिक मण्डी जैसे-सब्जी मण्डी, फल मण्डी, इत्यादि को प्रस्तावित थोक व्यापार स्थल पर स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। यातायात की दृष्टि से कस्बे का आन्तरिक भाग व्यस्ततम क्षेत्र है, यहाँ कोई ट्रक स्टेण्ड़ एवं गोदाम की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। सब्जी, फल इत्यादि व्यावसायिक गतिविधियाँ स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्रों में भी नियोजित तरीके से समायोजित की जायेगी।

5.2 (2) वाणिज्यिक केन्द्र (सी.सी.)

वाणिज्यिक गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण करने एवं क्षेत्र के भविष्य की खुदरा बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से 23.01 हेक्टेयर भूमि वाणिज्यिक केन्द्रों हेतु विभिन्न 7 स्थलो पर प्रस्तावित की गई है।

यह वाणिज्यिक केन्द्र उत्तरी-योजना क्षेत्र, पूर्वी योजना क्षेत्र एवं दक्षिणी-पश्चिमी योजना क्षेत्र में प्रस्तावित किये गये हैं ।

उक्त प्रस्तावित वाणिज्यिक केन्द्र कस्बे के विद्यमान एवं प्रस्तावित विकसित क्षेत्रों की जनसंख्या को अपनी सेवाएँ प्रदान करेंगे। इसके अन्तर्गत खुदरा एवं थोक दुकानें, वाणिज्यिक कार्यालय, सामुदायिक सभागार, होटल, पेट्रोल पम्प इत्यादि की सुविधाएँ प्रदान की जा सकेगी। इससे नगरवासियों को मुख्य शहरी केन्द्र में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

5.2 (3) विशिष्ट वर्गीकृत एवं थोक बाजार

कृषि उत्पादों, निर्माण सामग्री, फल एवं सब्जी आदि के लिए विशिष्ट और थोक व्यापार बाजारों की स्थापना हेतु भूमि की सम्भावित आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से थोक व्यापार के लिए विद्यमान मण्डी क्षेत्र का विस्तार प्रस्तावित है एवम् पूर्वी योजना क्षेत्र में विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम में 60 मीटर प्रस्तावित बाहय मार्ग पर भूमि प्रस्तावित की गयी है । इस भू-उपयोग में कुल 18.16 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित है।

5.2 (4) भण्डारण एवं गोदाम

नगर में आन्तरिक भागों में संचालित भण्डारण एवं गोदामों को नगर के बाहय क्षेत्रो में स्थानान्तरण प्रस्तावित है जिससे यातायात में अवरोध उत्पन्न न हो। नगर के वर्तमान वाणिज्यिक एवं औद्योगिक गतिविधियों एवं इनमें वृद्धि की भावी सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए वस्तुओं के भण्डारण हेतु पूर्वी योजना क्षेत्र में 60 मी.बाहय मार्ग के उत्तर में 3.69 हैक्टेयर भूमि भण्डारण एवं गोदाम हेतु प्रस्तावित की गयी हैं। नगर में आन्तरिक भागों में संचालित भण्डारण एवं गोदामों को नगर के बाहय क्षेत्रो में स्थानान्तरण प्रस्तावित है जिससे यातायात में अवरोध उत्पन्न न हो।

5.3 औद्योगिक

श्री माधोपुर रीको द्वारा जालपाली में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। यह कस्बा दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कोरिडोर में स्थित होने के कारण इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास होने की अच्छी संभावनाएँ है। नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार एवम् नगर के उत्तर-पूर्व में व रेल्वे लाइन के पूर्व में पोलादास फाटक के समीप नया औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए कुल 25.17 हैक्टेयर भूमि अतिरिक्त प्रस्तावित की गई है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत विद्यमान व प्रस्तावित कुल 43.15 हैक्टेयर भूमि है, जो विकास योग्य क्षेत्र का 3.96 प्रतिशत है। श्री माधोपुर में औद्योगिक उपक्रमों की स्वीकृति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही दिया जाना प्रस्तावित है । श्री माधोपुर क्षेत्र व उसके आस पास ईंट भट्टे लगे हुए हैं। जिनसे स्थानीय एवम् अन्य जगह ईंटों की आपूर्ति की जा रही है। ईट भट्टो की स्वीकृति प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के मापदण्डो के अनुसार परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र मे दी जा सकेगी।

5.3 (1) घरेलू उद्योग

घरेलू उद्योगों को उनके वर्तमान स्थलों पर ही यथावत रखे जा सकेंगे, लेकिन उन्हें पर्यावरण से संबंधित निश्चित मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी । सेवा देने वाले एवं घरेलू उद्योगों को विभिन्न वाणिज्यिक क्षेत्रों में अनुमति दी जा सकेगी । उनके कार्य स्थलों का निर्धारण निश्चित मानदण्डों के आधार पर किया जायेगा । वाणिज्यिक क्षेत्रों को विस्तृत प्लान में, सेवा देने वाले उद्योगों के लिए, निर्धारित मानदण्डों के आधार पर निश्चित स्थलों पर दर्शाया जायेगा तथा उस क्षेत्र में उसी प्रकार की इकाइयों को स्थापित करने की अनुमति दी जायेगी, यथाः लघु आटा मिल, बेकरीज, लघु मरम्मत की दुकानें इत्यादि सम्मिलित हैं । आवासीय एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में गृह उद्योग एवं विशिष्ट साफ-सुथरे उद्योगों को कार्य करने की अनुमति दी जा सकेगी । इनके स्थलों का इस प्रकार चयन किया जायेगा कि यह उद्योग ध्वनि प्रदूषण, यातायात मानदण्डों एवं औद्योगिक कचरे के निस्तारण के मानदण्डों का पालन करते हों ।

5.4 राजकीय

5.4 (1) सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय

वर्तमान में श्री माधोपुर में 21 सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालय है। औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्रियाकलापों में वृद्धि के फलस्वरूप, यहाँ पर राजकीय कार्यालयों में वृद्धि होने की संभावना है। श्री माधोपुर में विद्यमान सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालय के अन्तर्गत 8.29 हैक्टेयर भूमि का भू-उपयोग है। नगर की भावी वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए 25.02 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि, दक्षिण पश्चिमी योजना क्षेत्र में प्रस्तावित बाहय मार्ग पर रेल्वे लाइन के दोनों तरफ चिन्हित की गई है। इस प्रकार राजकीय भू-उपयोग प्रयोजनार्थ कुल 33.31 हैक्टेयर भूमि को प्रस्तावित किया गया है, जो विकास योग्य क्षेत्र का 3.06 प्रतिशत है।

5.5 आमोद -प्रमोद

सार्वजनिक उद्यानों और खुले स्थलों को सामान्य तौर पर किसी नगर के फेफड़ों के रूप में माना जाता है क्योंकि ये किसी सीमा तक लोगों के सामाजिक एवं भौतिक स्वास्थ्य का दिग्गदर्शन कराते हैं। वर्तमान में नगर में उद्यानों का अभाव है। प्रस्तावित भू-उपयोग योजना में हर क्षेत्र में पार्क, उद्यान एवं खुले स्थल प्रस्तावित किये गये हैं, इससे पर्यावरण संरक्षित होगा एवं नगरवासियों को स्वास्थ्य लाभ एवं मनोरंजन प्राप्त होगा। इनके अतिरिक्त भविष्य में आवासीय योजनाऐं बनाते समय, नगरीय मानदण्डों के आधार पर समुचित भूमि, पार्क व खुले स्थलों हेतु आरक्षित रखी जाना प्रस्तावित है ।

अन्धाधुन्ध नगरीयकरण के बढ़ते दबाव से नगरीय जीवन तनावयुक्त रहता है। इसको तनावमुक्त करने के लिए, आमोद-प्रमोद की अत्यधिक आवश्यकता है। सार्वजनिक उद्यान, खेल के मैदान एवं खुले स्थल न केवल आमोद-प्रमोद की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, अपितु स्वास्थ्यवर्द्धक वातावरण भी प्रदान करते हैं। अतः योजना में आमोद-प्रमोद के लिए विभिन्न स्तरों पर खुले स्थल एवं खेल के मैदान, मेले, पर्यटन सुविधाएँ आदि के लिए 41.12 हैक्टेयर भूमि का प्रावधान रखा गया है। जो विकास योग्य क्षेत्र का 3.78 प्रतिशत है। प्रस्तावित भू-उपयोग योजना में मिनी स्टेडियम हेतु 15.16 हैक्टेयर भूमि दक्षिण पश्चिमी योजना क्षेत्र में प्रस्तावित की गयी है। स्टेडियम में कस्बे में आयोजित होने वाले मेले जैसे दशहरा मेला, उद्योग मेला, हाट बाजार तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये जा सकेंगे।

5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक एवम् अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं जैसेः-शैक्षणिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जनोपयोगी सुविधाओं आदि को विभिन्न स्तरों में उपलब्ध कराना आवश्यक है। आवासीय घनत्व, क्षेत्र विशेष की प्रकृति, भविष्य में विस्तार की सम्भावना और भूमि की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए, योजना में, इन सुविधाओं का युक्तिसंगत वितरण किया गया है। सार्वजनिक एवम् अर्द्धसार्वजनिक भू-उपयोग के अन्तर्गत विद्यमान क्षेत्र सहित कुल 122.40 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी है, जो विकास योग्य क्षेत्र का 11.24 प्रतिशत है।

5.6 (1) शैक्षणिक

क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए, शैक्षणिक संस्थाओं का आंकलन नगर नियोजन के मानक स्तरों के आधार पर किया गया है। श्री माधोपुर में भू-उपयोग योजना में 4 सीनियर सैकेण्डरी विद्यालयों के लिए लगभग 13.03 हैक्टेयर भूमि तीनों योजना क्षेत्रों में प्रस्तावित की गई है। तकनीकी व उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय के लिए लगभग 13.17 हैक्टेयर भूमि उत्तरी योजना क्षेत्र में व दक्षिण पश्चिमी योजना क्षेत्र में 9.84 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्रावधान विस्तृत क्षेत्रीय योजनाओं में किया जाना प्रस्तावित है ।

5.6 (2) चिकित्सा

वर्तमान में राजकीय सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र आबादी क्षेत्र में स्टेशन रोड़ पर स्थित है। यहाँ पर चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु स्थल का अभाव है। अतः क्षितिज वर्ष 2031 तक 62,500 की जनसंख्या के लिए भू-उपयोग योजना में 5 स्थानों पर चिकित्सा सुविधाओ हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि श्री माधोपुर नगर व उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से उपयुक्त होगी। पूर्वी योजना क्षेत्र में दो स्थल, एक स्टेशन के पूर्वी दक्षिण में व दूसरा कालू वाली ढाणी के समीप, उत्तरी योजना क्षेत्र में दो स्थल है एक प्रस्तावित स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र के पास व दूसरा विद्यमान बाईपास पर तथा दक्षिण पश्चिमी योजना क्षेत्र में विद्यमान बाईपास पर स्थल चिन्हित किए गये हैं। चिकित्सा सुविधाओं के लिए कुल 19.74 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.6 (3) सामाजिक /सांस्कृतिक/धार्मिक व ऐतिहासिक

दक्षिण पश्चिमी योजना क्षेत्र में प्रस्तावित स्टेडियम स्थल पर सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है। गोपीनाथ जी का मन्दिर, शिव मन्दिर व झांटी वाले बालाजी प्राचीन मन्दिर है। श्री माधोपुर, जयपुर शहर की बसावट के आधार पर बसा हुआ है। इसमे जयपुर की तरह हवेलियॉं बनी हुई है। इन हवेलियों में राज्य की प्राचीन शैली की झलक मिलती है। इन स्थलो का विरासत संरक्षण योजना के अन्तर्गत संरक्षण किया जाना चाहिए।

5.6 (4) अन्य सामुदायिक सुविधाऍं

श्री माधोपुर में एक डाकघर, एक टेलीफोन केन्द्र, पुलिस थाना, 2 धर्मशालाएँ, व एक सार्वजनिक पुस्तकालय विद्यमान है। वर्ष 2031 तक के लिए तैयार की गई भू-उपयोग योजना में सभी योजना क्षेत्रों में 5 स्थल अन्य सामुदायिक सुविधाओं हेतु प्रस्तावित किये गये है। जिनको तीन क्षेत्रों में दर्शाया गया है अन्य सामुदायिक सुविधाओं के भू-उपयोग के अन्तर्गत 18.72 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी है।

5.6 (5) जनोपयोगी सुविधाएँ

जलापूर्ति विद्युत, जल-मल निकासी, एवं सीवरेज व्यवस्था नगर की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं। नगर में बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से इन सेवाओं पर अत्यधिक भार बढ़ गया है। जनोपयोगी सुविधाओं के लिये 23.68 हैक्टेयर भूमि तीनों योजना क्षेत्रो मे विभिन्न स्थलो पर प्रस्तावित की गयी है।

5.6 (5) (अ) जलापूर्ति

योजना अवधि तक अनुमानित 62500 जनसंख्या के लिये जलापूर्ति हेतु और नये जल-स्त्रोतो को खोजकर विकसित करने होंगे। जलदाय विभाग द्वारा क्षितिज वर्ष 2031 तक की संभावित आबादी के लिये भू-उपयोग योजना से सांमजस्य के साथ जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था हेतु योजना तैयार किया जाना प्रस्तावित है, ताकि वर्ष 2031 की अनुमानित जनसंख्या हेतु मानक स्तर 100 से 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जलापूर्ति व्यवस्था की जा सके ।

5.6 (5) (ब) विद्युत आपूर्ति

नगर की जनसंख्या तथा आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होने के साथ विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की माँग भी बढ़ेगी। भविष्य में माँग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति बढ़ाने हेतु अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा एक विस्तृत योजना तैयार किया जाना प्रस्तावित है।

5.6 (5) (स) जल-मल निकास व्यवस्था

नगर में जल-मल निस्तारण प्रणाली की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है । नगरपालिका द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नालियों का निर्माण भी टुकड़ों में करवाया जाता है, जिससे सुव्यवस्थित रूप से पानी की निकासी नहीं हो पाती है। नालियों पर अतिक्रमण भी पानी की निकासी में बाधा हैं। नगर के गंदे पानी के निकास व नालियों के निर्माण की कोई नियमित योजना बनी हुई नहीं है। नगर में खुली नालियाँ होने से, गंदा पानी सड़कों पर बहता है, जिससे वातावरण और आवागमन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । अतः जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा स्थानीय नगर पालिका एवं अन्य संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर सम्पूर्ण श्री माधोपुर नगरीय क्षेत्र के लिये एक एकीकृत जल एवं मल निकास योजना तैयार किया जाना प्रस्तावित है । ऐसी योजना शहर की आकृति बसावट एवं ढ़लान तथा विभिन्न दिशाओं के विकास स्तरों को ध्यान में रख कर तैयार की जानी प्रस्तावित है।

5.6 (5) (द) ठोस कचरा निस्तारण प्रबंधन

वर्तमान में श्री माधोपुर कस्बे में ठोस कचरा निस्तारण हेतु उचित प्रबंधन नहीं है नगर का कचरा इधर उधर गड्ढों में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से कूड़े करकट और गन्दगी के ढ़ेरों को नियमितरूप से कचरा निस्तारण स्थल तक ले जाने तथा कचरे को सुव्यवस्थित तरीके से निस्तारण करने हेतु, समुचित प्रबन्धन किया जाना आवश्यक है। ठोस कचरा निस्तारण हेतु रींगस रेल्वे लाइन के पूर्व में स्थल प्रस्तावित किया गया है। इस स्थल को विकसित किया जाकर नगर पालिका द्वारा वैज्ञानिक ढंग से ठोस कचरे का निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है । रिसाइकिल किये जा सकने योग्य कचरें को पृथक कर इसका पुनः उपयोग करने हेतु भी प्रयास किया जाना चाहिए। नगरपालिका प्रशासन द्वारा शहर की सड़कों पर से गन्दगी के ढ़ेरों को साफ करने के लिए तकनीकि यन्त्रों को क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

5.6 (6) श्मशान एवं कब्रिस्तान

वर्तमान में स्थित श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थलों को यथावत रखा गया है। इन श्मशानों एवं कब्रिस्तानों के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। कस्बे की बढ़ी हुई जनसंख्या एवं भावी विकास को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में स्थल का चयन किया जा सकता है।

5.7 परिसंचरण

5.7 (1) प्रस्तावित यातायात संरचना

श्री माधोपुर से जयपुर-झुंझुनू, नागौर-दिल्ली, रींगस-अजीतगढ़, सीकर-अजीतगढ़, जयपुर-नीमकाथाना एवम् श्री माधोपुर से शाहपुरा, ठिकरिया बावडी, खण्डेला कावँट व गोविन्दगढ़ को राजस्थान रोड़वेज द्वारा बस सेवा संचालित है। वाया अजीतगढ़ दिल्ली जाने वाले अधिकतर वाहन श्री माधोपुर से ही गुजरते हैं, इससे कस्बे में यातायात का भारी दबाव बना रहता है।

एक सुव्यवस्थित परिसंचरण प्रणाली नगर की आर्थिक संवृद्धि एवं सामाजिक प्रगति की द्योतक होती है। अतः कस्बे में वस्तुओं एवं यात्रियों के परिवहन एवं आवागमन हेतु एक कुशल परिसंचरण व्यवस्था आवश्यक है।

सड़कें परिवहन साधनों का एक महत्त्वपूर्ण अंग है, श्री माधोपुर मास्टर प्लान में यातायात योजना को भू-उपयोग योजना के सम्यक रूप में दर्शाया गया है। वर्तमान में इस उपयोग के अन्तर्गत 61.62 हैक्टेयर क्षेत्र आता है, जो कस्बे के विकसित क्षेत्र का 26.51 प्रतिशत है। योजना अवधि वर्ष 2031 तक इस उपयोग के अन्तर्गत विद्यमान व प्रस्तावित कुल 214.19 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी है, जो प्रस्तावित विकास योग्य क्षेत्र का 19.68 प्रतिशत है। कस्बे के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में प्रस्तावित किये गये कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों एवं आवासीय क्षेत्रों के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित करने, सुगम-आवागमन, सुरक्षित यात्री एवं माल परिवहन हेतु योजना में श्रृंखलाबद्ध सड़कें प्रस्तावित की गयी हैं, जो जनसाधारण के लिये सुविधाजनक होंगी। इससे यातायात सुरक्षित, सुगम, समुचित गति से संचालित हो सकेगा।

इस आधार पर श्री माधोपुर कस्बे के पश्चिम व दक्षिण की ओर 60 मीटर बाहय मार्ग व पूर्व की ओर 30 मीटर प्रमुख मार्ग प्रस्तावित किया गया है। पश्चिमी बाहय मार्ग रींगस सड़क से विद्यमान रोड़वेज आगार के दक्षिण की ओर से रेल्वे लाइन को क्रास करते हुए विद्यमान

बाईपास को जोडा गया है, जो खण्डेला रोड से मिलता है। इस बाईपास की चौडाई 60 मीटर प्रस्तावित की गई है। पूर्वी 30 मीटर प्रमुख मार्ग, अजितगढ़ सड़क से विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र के पूर्व की ओर राज्य राजमार्ग 37 से मिलता है। शहर में विद्यमान व नवीन प्रस्तावित क्षेत्रो को इन बाहय मार्गो व प्रमुख मार्गो से जोडने हेतु उप प्रमुख सड़के व मुख्य सड़के प्रस्तावित की गयी है। राज्य राजमार्ग व बाईपास पर नगरीयकरण क्षेत्र के बाहर 30 मीटर चोड़ी वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित की गयी है।

5.7 (1) (अ) सड़कों का मार्गाधिकार

नगर के मुख्य बाजार लोहारू, सीकर बाजार, खण्डेला व रींगस बाजार के प्रवेश स्थानों व अन्दर के स्थलों पर सड़को की चौड़ाई कम है। शहर के आन्तरिक भाग के अधिकांश क्षेत्रों एवं व्यावसायिक क्षेत्र की सड़कों की चौड़ाई कम होने के साथ इन पर अतिक्रमण होने से सुगम आवागमन में बाधा उत्पन्न होती हैं। पार्किंग स्थल नहीं होने के कारण, वाहन सड़कों के मार्गाधिकार क्षेत्र में खड़े किये जाते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित होती है। श्री माधोपुर के लिये, परिसंचरण योजना को इस दृष्टि से तैयार किया गया है कि, नगर एवं इसके आस-पास के क्षेत्रों को आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये, यात्री एवं माल का आवागमन, औद्योगिक केन्द्र वाणिज्यिक केन्द्र,संस्थानिक केन्द्रों एवं अन्य कार्यस्थलों तक सुगमता से पहुँचना सुनिश्चित किया जा सके। एक श्रृंखलाबद्ध सड़क पद्धति का प्रावधान नगर में व्यवस्थित आवागमन हेतु किया गया है, जिसमें 60, 30, 24 एवं 18 मीटर चौडाई की सड़कें आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित की गयी हैं। भू-उपयोग योजना में 18 मीटर के नीचे की छोटी सड़कों को नहीं दर्शाया गया है। इन्हें विस्तृत योजना मानचित्रों में दर्शाये जाने का प्रस्ताव है। परिसंचरण योजना के पदानुक्रम में विभिन्न सड़कों के प्रस्तावित मानक सड़क मार्गाधिकार तालिका संख्या -15 में दर्शाये गये हैं।

तालिका संख्या - 15
प्रस्तावित मानक सड़क मार्गाधिकार, श्री माधोपुर -2031

क्र.सं.	सड़कों का प्रकार	मार्गाधिकार (मीटर में)
1	राज्य मार्ग/बाईपास मार्ग	60
2	प्रमुख सड़कें	30
3	उप प्रमुख सड़कें	24
4	मुख्य सड़कें	18

5.7 (1) (ब) सड़कों का चौड़ा करना एवं उनका सुधार

निर्धारित नीति के अनुसार वर्तमान में स्थित सड़कें, जिन्हें भू-उपयोग योजना में प्रमुख तथा मुख्य सड़कों के रूप में प्रस्तावित किया गया है, इनका मार्गाधिकार जहाँ तक सम्भव हो निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही होगा विद्यमान सड़को के उपलब्ध मार्गाधिकार को कम नही किया जावेगा। सघन आबादी क्षेत्रों में जहाँ सड़कों को चौड़ा करना सम्भव नहीं हो, वहाँ पूर्व स्वीकृतियों के अनुसार, अपेक्षाकृत एक श्रेणी तक निम्न स्तर के मानदण्ड अपनाये जा सकते हैं। नगर के मुख्य एवं महत्त्वपूर्ण बाजारों की सड़कों को चौड़ा करने हेतु इनके आगे बने चबूतरों और अनाधिकृत निर्माणों को हटाकर कुछ हद तक इन्हें चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है ।

5.7 (1) (स) चौराहों का सुधार

विकसित क्षेत्र में यातायात को स्वतन्त्र रूप से परिसंचरण में जो बाधाएँ आती हैं, उनमें चौराहों का अनुचित आकार, डिजाईन एवं अपर्याप्त चौराहों के निर्माण के कारण भीड़-भाड़ तथा यातायात अवरूद्ध होना स्वाभाविक है। अतः चौराहों के सुधार का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। यातायात सम्बन्धी अध्ययनों तथा यातायात प्रणाली को दृष्टिगत रखते हुए निम्न तालिका संख्या-16 में अंकित महत्वपूर्ण चौराहों की पुनः डिजाईन करने एवं सौन्दर्यकरण का प्रस्ताव है।

तालिका संख्या-16
प्रस्तावित प्रमुख चौराहा विकास, श्री माधोपुर -2031

क्र.सं.	चौराहा/ तिराहा
1.	विद्यमान बाईपास व खण्डेला सड़क का चौराहा
2.	रींगस सड़क व प्रस्तावित बाईपास का चौराहा
3.	राज्य राजमार्ग संख्या-37 रींगस सड़क का तिराहा

5.7 (1) (द) पार्किंग व्यवस्था

श्री माधोपुर में बढ़ते हुए वाहनों के कारण यातायात समस्याएँ उत्पन्न हो गयी है। आवागमन के अतिरिक्त वाहनों की पार्किग की समस्या दिन प्रतिदिन गम्भीर रूप लेती जा रही है। नगर के पुराने आबादी क्षेत्रों/व्यावसायिक केन्द्रों में यह एक विकट समस्या है। अतः यह प्रस्तावित किया गया है कि इन क्षेत्रों में जहाँ भी खुले स्थल/खाँचा भूमि उपलब्ध है, उन्हे चिन्हित कर पार्किंग के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। नये व्यावसायिक केन्द्रों की विस्तृत योजनाएँ तैयार करते समय उनमें पर्याप्त पार्किंग का प्रावधान किया जावेगा। ट्रक टर्मिनल, थोक व्यापार एवं भण्डारण गोदाम, बस स्टेण्ड के लिये प्रस्तावित स्थलों में उचित पार्किंग स्थलों का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

5.7 (2) बस एवं ट्रक टर्मिनल

श्री माधोपुर में वर्तमान में कोई नियमित बस स्टैण्ड नहीं है। बसें नगरपालिका के पास सड़क पर खडी रहती है, जो यातायात में अवरोध उत्पन्न करती हैं। श्री माधोपुर से जयपुर-झुन्झुनू,नागौर-दिल्ली,रींगस-अजीतगढ, सीकर-अजीतगढ,जयपुर-नीमकाथाना,रींगस व अन्य ग्रामीण क्षेत्रो में आती जाती है। यहाँ पर जनसुविधाओं के अन्तर्गत पार्किंग का अभाव है। नगरपालिका द्वारा विद्यमान टैक्सी स्टेण्ड को बस स्टेण्ड के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस स्थल पर भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुये पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है। भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए नगर के दक्षिण पश्चिम में विद्यमान बाईपास पर 5.53 हैक्टेयर भूमि बस स्टेण्ड हेतु प्रस्तावित की गई है। इस प्रस्तावित बस स्टेण्ड पर यात्रियों की सुविधाओं के लिये दुकानें, विश्राम स्थल एवं अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध करायी जायेंगी।

श्री माधोपुर में माल का आवागमन ट्रकों द्वारा किया जाता है। ट्रकों को खड़े होने के लिए स्थान नगर में सुनिश्चित नहीं है। सड़क पर ही ट्रक खड़े रहते हैं एवं मरम्मत का कार्य भी सड़क पर ही होता रहता है, जिससे नगर के यातायात में अवरोध उत्पन्न होता रहता है। अतः भू-उपयोग योजना में नगर के दक्षिण में व रेल्वे लाइन के पश्चिम की ओर प्रस्तावित बांहय मार्ग के दक्षिण में 13.96 हैक्टेयर भूमि ट्रक टर्मिनल हेतु प्रस्तावित की गयी है। इस स्थल पर

आटोमोबाईल मार्केट, रिपेयर शापस व ट्रान्सपोर्ट संबंधी अन्य समस्त सुविधाऐ एकीकृत रूप से विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

5.7 (3) रेल सेवा

रेल्वे स्टेशन पर सुविधाएँ विकसित की जाकर सौन्दर्यकरण किया जाना प्रस्तावित है। रेल्वे स्टेशन के सामने सुव्यवस्थित पार्किंग स्थल नहीं होने से सड़क के किनारे जीप, कार, टैक्सी, ऑटो आदि खड़े रहने से, प्रायः यातायात अवरूद्ध होता रहता है, इससे लोगों के आवागमन में हर वक्त असुविधा बनी रहती है। अतः रेल्वे स्टेशन पर पार्किंग हेतु स्थल विकसित किया जाना आवश्यक है।

5.8 परिधि नियन्त्रण पट्टी

मास्टर प्लान में नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों तरफ, अधिसूचित नगरीय, क्षेत्र तक परिधि नियंत्रण पट्टी का प्रावधान किया गया है जिसका कुल क्षेत्रफल 7224 हैक्टेयर है। परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित करने से पूर्व नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के फैलाव की सीमा का निर्धारण अगले 20 वर्षों की आवश्यकताओं, समुचित घनत्व एवं एकीकृत विकास की अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए वृहद् तकनीकि अध्ययन के आधार पर किया गया है ।

परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित ग्रामीण बस्तियों का विकास एवं विस्तार आवश्यकतानुसार योजना तैयार कर, सक्षम स्तर पर अनुमोदन के उपरान्त किया जा सकेगा । परिधि नियंत्रण पट्टी में ग्रामीण आबादी विस्तार, कृषि आधारित उद्योग, ईंट भट्टे, दुग्धशाला, फलोद्यान, पौधशाला, मुर्गीपालन, फार्म हाऊस, रिसोर्ट्स, मोटलस, एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, इत्यादि निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अनुज्ञेय होगें। राज्य राजमार्ग एवं प्रस्तावित बाई पास सड़क पर नगरीकरण योग्य क्षेत्र के बाहर 30 मीटर चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित की गई है।

5.8 (1) ग्रामीण आबादी क्षेत्र

परिधि नियंत्रण सीमा क्षेत्र में आने वाले चयनित गांव, जो कि नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु विकसित करना होगा । इससे इन ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न भू-उपयोगों को नियंत्रित करने में बढ़ावा मिलेगा । महत्त्वपूर्ण ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का उनकी न्यूनतम विस्तार आवश्यकताओं एवं ग्राम पंचायत के प्रस्तावों आदि को दृष्टिगत

रखते हुए नगरीय ग्राम के रूप में विस्तार एवं विकास सुनिश्चित किया जायेगा ताकि ग्रामीण आबादी से संबंधित समस्याओं का समाधान हो सके । इन ग्रामीण आबादियों को पक्की सम्पर्क सड़कों द्वारा नगरीय क्षेत्रों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है ताकि नगर में उपलब्ध विभिन्न सामाजिक, सार्वजनिक व अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं तथा व्यापार व वाणिज्यिक केन्द्रों का ग्रामवासियों को समुचित लाभ मिल सकें ।

5.9 पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण

पर्यावरण प्रदूषण एक व्यापक समस्या है। यह मानव जाति के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। पर्यावरण प्रदूषण से ओजोन परत कमजोर हो रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग अर्थात धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का अन्धाधुंध दोहन यथा वृक्षों की कटाई, अत्यधिक जल दोहन, अनियंत्रित खनन् आदि से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है और भीषण गर्मी, अकाल, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोप बढ़ रहे हैं।

वृक्ष, प्राण वायु के भण्डार हैं। अतएव पर्यावरण सन्तुलन की दृष्टि से प्रमुख सड़कों के सहारे-सहारे वृक्षारोपण की कार्यवाही की जावेगी। राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों, चिकित्सालयों व न्यायालय परिसरों, औद्योगिक क्षेत्र, श्मशान भूमि, ओरण, गौचर, वन भूमि, आदि क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। पर्यावरण संरक्षण के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित प्रयासों और प्रत्येक नगरपालिका को इसमें सहयोग एवं हिस्सेदारी या सह-भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

पानी के स्त्रोत सीमित है। बढ़ती जनसंख्या एवं शहरी करण के कारण शहरों में पानी की समस्या निरन्तर गहराती जा रही है। जल स्त्रोतों का संरक्षण, वर्षा जल पुनर्भरण एवं पानी की रिसाईक्लिंग से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। सभी सार्वजनिक-अर्द्धसार्वजनिक भवनों, बड़े व्यावसायिक व आवासीय परिसरों में वर्षा जल पुनर्भरण संरचना का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है। गंदे पानी को वैज्ञानिक तरीकों से शुद्ध कर पुनः चक्रित कर बाग-बगीचों में उपयोग लिया जाना चाहिए। उपरोक्त हेतु स्थानीय निकाय द्वारा विशेष प्रयास किये जाना प्रस्तावित है।

6

मास्टर प्लान का क्रियान्वयन

श्री माधोपुर शहर के लिये योजना बनाना, वहाँ की जनता के लिये रहने और कार्य करने की दिशा में प्रयत्नों को आरम्भ करना मात्र है। जब यह योजना सरकार द्वारा अनुमोदित और अधिसूचित कर दी जाती है तो, यह एक कानूनी दायरे में आ जाती हैं। इस योजना को लागू करने के लिये विकास करने वाली संस्थाओं को इसके अनुसार ही कार्य करने होते हैं।

नगर की 2031 तक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किये गये इस मास्टर प्लान की क्रियान्विति हेतु यह आवश्यक है कि इस योजना के निरन्तर में सेक्टर प्लान तथा योजनाएँ बनें। यह भी आवश्यक है कि उक्त सैक्टर प्लान व योजनाओं के समन्वित/एकीकृत विकास हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो तथा उस भूमि पर पानी, बिजली, सीवर लाइन इत्यादि आधारभूत सुविधाऐं वाँछनीय मानदण्डों के आधार पर उपलब्ध हों । उक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सम्बन्धित विभागों में समन्वय आवश्यक है। तथा मास्टर प्लान की क्रियान्विति की सतत् निगरानी भी आवश्यक हैं । क्रियान्वयन की निगरानी हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा । इस समिति की बैठक में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जावेगा एवं विषय विशेषज्ञों को भी मनोनीत किया जा सकेगा ।

6.1 प्रस्तावित आधार

मास्टर प्लान के लागू होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान की एक प्रतिलिपी नगरपालिका श्री माधोपुर को भेजी जायेगी। इस प्रकार नगरपालिका, उक्त अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रति प्राप्त होने के पश्चात् कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रसारित करेगी। श्री माधोपुर के नगरीय क्षेत्र के विकास कार्य उक्त मास्टर प्लान के अनुसार ही किये जायेंगे।

इस सार्वजनिक सूचना की प्रतिलिपी श्री माधोपुर नगरपालिका द्वारा राज्य एवं केन्द्र सरकार के समस्त विभागीय कार्यालयों को सूचनार्थ भेजी जायेगी। अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रतियां नगर के प्रमुख स्थलों यथा सूचना केन्द्र, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, नगरपालिका श्री माधोपुर में आम जनता के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी। आम जनता उक्त मास्टर प्लान की प्रति मय मानचित्रों के कार्यालय नगरपालिका श्री माधोपुर से निर्धारित मूल्य पर क्रय कर सकेगी।

नगरपालिका श्री माधोपुर मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप सफल क्रियान्वयन हेतु नगर नियोजन विभाग के सहयोग से विस्तृत प्लान तैयार करेगी। जलापूर्ति,जल-मल निकास, ठोस कचरा प्रबन्धन तथा शहरी यातायात प्रबन्धन एवं सड़क विकास योजनाएं सम्बन्धित विभागों द्वारा तैयार की जानी प्रस्तावित है।

नगरपालिका, मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार नगर नियोजन विभाग के परामर्श से वार्षिक एवं पंचवर्षीय परियोजनाऐं तैयार कर क्रियान्वयन की कार्यवाही करेगी।

मास्टर प्लान क्रियान्वयन का दायित्व नगरपालिका श्री माधोपुर का रहेगा। जबकि क्रियान्वयन निगरानी हेतु एक समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

6.2 जन-सहयोग एवं जन-सहभागिता

नगर का सुव्यवस्थित विकास, बहुत कुछ वहाँ की जनता की आकांक्षाओं व प्रयासों पर निर्भर करता है। नगर के मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य वहाँ की जनता के रहने के लिये स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण तैयार करना है । इस मास्टर प्लान में, निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये, जनता का पूर्ण सहयोग होना अति आवश्यक है । कोई भी योजना बिना जनता के सक्रिय एवं परस्पर सहयोग के अभाव में सफल नहीं हो सकती, जिनके लिये यह योजना तैयार की जाती है। नगरपालिका की जागरूकता ही नगर को सक्षम व स्वच्छ प्रशासन दे सकती है । अतः यह आवश्यक है कि नगरवासी,निवासी इस प्रकार का वातावरण तैयार करने में पूर्ण सहयोग दें ।

6.3 भू-उपयोग, अंकन एवं भूमि अवाप्ति

श्री माधोपुर मास्टर प्लान में क्षितिज वर्ष 2031 के प्रस्तावित भू-उपयोगों को विकास की दिशा, भौतिक अवरोध एवं खाली एवं विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है ।

''मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व में जारी की गई स्वीकृतियां/अनुमोदन को नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार कि गई योजना-2031 में समायोजित किये जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है । सहवन से सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी की गई किसी स्वीकृति 90 बी के आदेश, आवंटन,भूमि रूपांतरण व नियमन, भू-उपयोग परिवर्तन, अनुमोदित योजना भवन निर्माण स्वीकृत आदि का समायोजन नही पाया हो तो उन्हें समायोजित माना जावेगा।''

श्री माधोपुर के मानचित्र में नदी, नाले, तालाब, भराव क्षेत्र, जलाशय, डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन प्रचलित पद्धति से करने का प्रयास किया गया है तथापि यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया हो तो भी उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ही मान्य होगीं। इन नदी-नाले, जलाशयों, इत्यादि में किसी भी प्रकार का विकास/ निर्माण/नियमन/रूपान्तरण नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या वे सूख गये हों । क्रियान्वयन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी ।

6.4 उपसंहार

श्री माधोपुर कस्बे के नगरीय क्षेत्र को विभिन्न योजना क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक योजना क्षेत्र अपने आप में मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण है। नगर की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा प्रत्येक पांच वर्ष में मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू- उपयोगों का आंकलन करते हुए उनका पुरावलोकन किया जायेगा एवं नगर विकास प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार समय-समय पर नवीनीकरण एवं संशोधन किये जायेंगे ।

श्री माधोपुर नगर का मास्टर प्लान विवेक सम्मत एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण के आधार पर तैयार किया गया है, समस्त वाँछित सुविधाएँ एवं सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान रखा गया हैं। नगर में नई सुविधाएँ विकसित करके, सार्वजनिक सुविधाओं में अभिवृद्धि और श्री माधोपुर को आवास की दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक बनाने तथा इसके सर्वांगीण व एकीकृत विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखकर इस मास्टर प्लान को तैयार किया गया है ।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्धरण

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959

अध्याय 2

मास्टर प्लान

3. राज्य सरकार की मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश करने की शक्तिः-

(1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नगरपालिका सर्वेक्षण किया जायेगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।

(2) मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार, एक सलाहकार परिषद् का गठन कर सकेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार उचित समझे।

4. मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तुः-

(क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जायेगे जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाए तथा वह रीति उपदर्शित की जायेगी, जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है।

(ख) उस ढांचे के, जिसमें विभिन्न जोनो की सुधार स्कीमें तैयार की जाये, आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आएगा।

5. अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाः-

(1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी, शासकीय रूप से कोई मास्टर प्लान तैयार करने से पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस प्रकाशित करके, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के सम्बन्ध में आक्षेप तथा सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे, प्रकाशित करेगा।

(2) ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि स्थित है, मास्टर प्लान के सम्बन्ध में अभ्यावेदन करने हेतु उचित अवसर प्रदान करेगा।

(3) ऐसे समस्त आक्षेपों, सुझावों तथा अभ्यावेदनों पर जो प्राप्त हुए हो, विचार करने के पश्चात् ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अन्तिम रूप से मास्टर प्लान तैयार करेगा।

(4) इस निमित्त बनाये गये नियमो द्वारा किसी मास्टर प्लान के प्रारूप तथा उसकी अन्तर्वस्तु के संबंध में तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और मास्टर प्लान तैयार करने से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में उपलब्ध किये जा सकेंगे।

6. मास्टर प्लान का सरकार को प्रस्तुत किया जानाः-

(1) प्रत्येक मास्टर प्लान, तैयार किये जाने के पश्चात्, यथासम्भव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार, मास्टर प्लान तैयार करने के लिये नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी जिसकी वह इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगा।

(3) राज्य सरकार, या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणो के बिना या ऐसे उपान्तरणो के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश देते हुए, उसे अस्वीकार कर सकेगी।

7. मास्टर प्लान के प्रवर्तन की तारीखः-

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात, राज्य सरकार, यह बतलाते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदित कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बतलाते हुए जहां मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वोक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाशन की तारीख मे प्रवर्तन में आ जावेगा।

राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण

THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST (GENERAL) RULES, 1962

[Notification No. F. 4(32) LSG/A/59 dated 2.4.1962 published in the Rajasthan Gazettee, Part IV-C, Extraordinary dated 8.6.1962, Page 118.]

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959), the state Government hereby makes the following Rules namely:-

Rules

1. Short title and commencement – (1) These rules may be called "The Rajasthan Urban improvement Trust (General) Rules 1962"
2. Definitions.- In these rules, unless the subject or context otherwise requires: -

(1) "Act" means The Rajasthan urban Improvement Act, 1959 (Act No.35 of 1959)

(2) "Trust means a Trust as constituted under the Act, 1959

(3) " Section" Means a section of the Act,

(4) Words and expressions used but not defined shall have the meanings assigned to them in act.

3. Manner of publication of draft master plan and the contents there of under section 5 (i)

1 ["(1) The draft master plan prepared by the officer or the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, shall be published by him by making a copy there of available for inspection at the office of the Trust concerned and publishing a notice in the form 'A' in the official Gazette and in atleast two popular daily newspapers having circulation in the area inviting suggestions and objection from every person with respect of the Draft Master plan within a period of 30 days from the date of the publication of the said notice. If the officer or authority appointed ander section 3 of the said Act is satisfied that reasponse to the draft master plan has been inadequate ,this period may be extended further for a maximum period of 30 days for enabling more persons to file their objections / suggestions with respect to the draft of the master plan].2

(2) The notice referred to in sub-rule (i) together with a copy of the Draft master plan shall be sent by the Officer or the Authority to each of the Local Body operating in the area included in the master plan.

(3) The Draft master plan shall ordinarily consist of the following maps, plans and documents, namely:-

(a) Town map showing General Layout of the roads and streets in the Town.

(b) Base map showing the Generalised existing land use pattern, such as residential, commercial, Industrial, public and semi-public uses etc.

(c) Draft master plan showing broadly the proposed land use pattern in the Urban area such as residential, commercial, Industrial, public and Semi-public uses etc.

(d) Written analysis and written statement to support the proposals.

(e) Any other maps, plans or matter which the Officer or the Authority in this regard.

4. Approval of master plan by the state Government under section 6:- 3[(1) After considering the objections, suggestions and representations which may be received by the Officer or the Authority appointed under section 3 to prepare the Master plan, the Officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council under section 3 (2) of the Act finalise the Master plan and submit the same]4 if constituted to the State Government for approval.

(2)When the master paln has been approved by the state Government it shall publish in the Official Gazette, a notice in form 'B' stating that the Master plan has been approved and a copy there of would be available in the office of the Trust / Municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day."]

1 .Subsititued by clause 2 of Notification No. F.3 (123) TP / 36,date 24.2.1970 vide C.S,R. 96 pub. In Raj. Gaz.Extra-ordi: part iv –C, dated 24.2.1970 at page 329-331

2. Amended & Added vide Noti. No. F.7 (19) TP /11/76 dated 21.9.1979 R.G. pt IV –C (i) date 27.9.1979 page 339

3.Subsititued by clause 3 of the Notification No. F. 3 (23) TP /63.date 24.2.1970 vide G.S.R. 96 pub .in Raj. Gaz Extra –ordin. Part IV-C dated 24.2.1970 at page 329-331.

4 Substituted vide No. F-9 (101) UDH /111/83 dated 27.10.1983 pub.in Raj.Gaz 4 (Ga) (i) date 16.2.1984 page 829.

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 10 (193) नविवि/ 3 / 10 दिनांक 10 अगस्त 2010

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा(3) की उप धारा(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक जयपुर जोन, जयपुर, को श्री माधोपुर (जिला सीकर) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं 2031 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती हैः-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम के नाम	Name of Village	तहसील
1.	श्री माधोपुर	Shri Madhopur	श्री माधोपुर
2.	खनीपुरा	Khanipura	श्री माधोपुर
3.	हांसपुर	Haanspur	श्री माधोपुर
4.	मऊ	Mau	श्री माधोपुर
5.	भारनी	Bharni	श्री माधोपुर
6	बल्लू वाली	Ballu wali	श्री माधोपुर
7	ढ़ाणी चौधरीयावाली	Dhani Choudhariyawali	श्री माधोपुर
8	जयरामपुरा-कल्याणपुरा	Jairampura-Kalyanpura	श्री माधोपुर
9	विजयपुरा	Vijaypura	श्री माधोपुर
10	नांगल भीम	Nangal Bhim	श्री माधोपुर

राज्यपाल की आज्ञा से

ह.
(पुरूषोत्तम बियाणी)
शासन उप सचिव-प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प 10(193)नविवि / 3/ 2010 जयपुर, दिनांकः 19 जून 2012

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10.08.2010 के द्वारा यथा अधिसूचित ''श्रीमाधोपुर (जिला-सीकर) के नगरीय क्षेत्र'' के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान -2031 का अनुमोदन कर दिया है।

उक्त मास्टर प्लान, 2031 की प्रति का अवलोकन नगर पालिका, श्रीमाधोपुर के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

ह.
(प्रकाशचन्द्र शर्मा)
शासन उप सचिव-प्रथम